[Shri Santosh Bagrodia]

dence is built up. In my opinion, these small administrative doses are really not going to help.

Madam, finally, I would like to make the most important point. Why is it restricted to NRIs? Why cannot any foreigner deposit money here? Everybody should be given the same privilege. What is the special thing about NRI bonds or deposits? That is what I fail to understand. In my opinion, Madam, we should allow anybody who is willing to deposit. Even tourists who come to India, if they want to deposit money, should be able to deposit. And even Indians sitting in this House or outside, if they want to deposit dollars, they should get the same benefit. Why should deposits come from NRIs only? If the money is available here, just take it. If you want dollars, just have them. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We have only two minutes left. I think the Minister cannot answer in two minutes. (*Interruptions*).

मंत्री जी, आपका जवाब पांच बजे करा देंगे । उसके बाद स्टेटमेंट होगा कॉफी के बारे में और फिर स्पेशल मेंशन । पांच बजे रिप्लाई हो जाएगा ।

The House is adjourned till 2.30 p.m. for lunch.

The House then adjourned for lunch at one of the clock.

The House reassembled after lunch at thirty-four minutes past two of the clock. **The Vice-Chairman (Shri Bhaskar Annaji Masodkar)** in the Chair.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is a statement regarding Government business. Shri Rangarajan Kumaramangalam.

ANNOUNCEMENT RE. GOVERNMENT BUSINESS FOR THE WEEK COMMENCING 2nd DECEMBER, 1991

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARAMANGALAM): Sir, with your permission, I rise to announce that the Government Business during the week commencing Monday, 2nd December, 1991, will consist of:

1. Consideration and passing of:
   (a) The Delhi High Court (Amendment) Bill, 1991.
   (b) The Legal Services Authorities (Amendment) Bill, 1991.
2. Consideration and return of the following Bills as passed by Lok Sabha:—
   (a) The Punjab Appropriation (No. 2) Bill, 1991.
   (b) The Water (Prevention and Control of Pollution) Cess (Amendment) Bill, 1991.
3. Consideration and passing of the Tea Companies (Acquisition and Transfer of Sick Tea Units) Amendment Bill, 1991 as passed by Lok Sabha.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now we will take up Private Members' Resolutions. Dr. Nagen Saikia.

RESOLUTION RE: SETTING UP OF A COMMISSION TO GRANT MORE AUTONOMY TO STATES

DR. NAGEN SAIKIA (Assam): Sir, I want to move the following Resolution:—

"This House is of opinion that in order to provide more autonomy to the States and evolve a consensus in this regard, a Commission be constituted to examine the view of not only of State Governments

but also of the cross sections of people including the representatives of different political parties/groups, premier socio-cultural organisations, academicians and eminent personalities of different fields and report thereon."

Sir, in this regard I want to emphasise that it is high time for the nation to review the Centre-State relations so that the grievances growing rapidly and in a massive way in every State of the country can be removed with positive measures and the intergrity and solidarity of the country can be reserved without any hindrance. Today in India in many of the States the secessionist tendency is on its feet and militant organisations are coming up to free their States from the yoke of the Central Goversment. In Punjab militants have been fighting for Khalistan; in Asand ULFA has been fighting for a sovereign Assam; in Nagaland NSCN has been fighting for a free Nagaland; in Manipur PLA and in Mizoram MNF—all these forces are at their work. These forces have been feeling that their States are being neglected and deprived of their dues, because of which their States are remaining underdeveloped and backward. On the contrary, some States are being treated more equally than the others. Therefore, these forces have found their own logic to make all efforts to liberate their States from the Indian Union. In this way a very dangerous tendency is growing rapidly throughout the country. By deploying military and para-military forces and by using bullets this spirit of secessionism can neither be defeated nor be removed. The only way to handle this problem is to find out proper ways and means of removing the sense of deprivation and negligence by taking positive actions. Deployment of military and paramilitary forces will rather strengthen the feeling of deprivation and the spirit of separation. It will rather make the grievances deeper in the minds of the people. In Kashmir, in Punjab, in the North-Eastern region, the wrong policy of the Government is proving counter-productive. When our forces are deployed against the citizens of our own country, the people become alienated automatically from the mainstream of the country. These moments are taken by the neighbouring countries as opportune moments to work, directly or indirectly, to make the country weaker and shatter it into pieces. In the case of North-Eastern region it is surrounded by sensitive international borders. In the case of Punjab and Kashmir, Pakistan is always there to help the militants to become a threat to the integration of the Indian Union. The deployment of army and para-military forces has proved to be counter-productive in these States. Therefore, it is high time that the structure of the Constitution was reviewed and proper ways and means were found to maintain the political, economic and overall national integration of the country.

Therefore, I would like to plead that by way of giving more autonomy to the States the spirit of secessionism could be nipped in the bud; otherwise, the future of the country will be a very bleak one for all of us.

Sir, there was a demand from many States in the early eighties that the structure of the Constitution should be a federal one in its true form and spirit. On March 24, 1983 Shrimati Indira Gandhi, the then Prime Minister of India, announced that her Government was going to set up a Commission on Centre-States Relation to be headed by Mr. Justice R. S. Sarkaria.

A notification appointing the Commission was issued on 19-6-1983 and from 1983 the Commission worked till 1987 to produce a substantial report on the various aspects of the Centre-State relations. It was experienced by many States that the Government of India deliberately and systematically had violated the rights of the States and denied them the autonomy guaranteed by the Constitution of India only to serve the ends of the ruling party at the Centre. The makers of the Constitution of India expected that it would be a federal constitution in as much as it would establish what may be called 'a dual policy'. Dr. B. R. Ambedkar said: "This dual polity in the proposed Constitution will consist of the Union at the Centre and the States on the periphery

[Dr. Nagen Saikia]

endowed with sovereign powers to be exercised in the fields, assigned to them respectively by the Constitution."

On the discussion of Presidential Rule in the States, he again said: "I think it is agreed that our Constitution, notwithstanding the many provisions which are contained in it whereby the Centre has been given powers to override the Provinces, is a Federal Constitution and when we say that the Constitution is a Federal Constitution, it means that the Provinces are as sovereign in the fields which are left to them by the Constitution as the Centre is in the fields which are assigned to them."

On November 25, 1949, when the Constituent Assembly completed it's deliberations, Dr. Ambedkar in his reply to the debate said: "As to the relations between the Centre and the States, it is necessary to bear in mind the fundamental principle on which it rests. The basic principle of federalism is that the Legislative and the Executive Authority is partitioned between the Centre and the States, not by any law to be made by the Centre, but by the Constitution itself. The States under our Constitution are in no way dependent upon the Centre for their legislative or executive authority. The Centre and the States are co-equal in this matter....This is the principle embodied in our Constitution."

Thus, the founding fathers of our Constitution were very much hopeful that there would be no overriding by the Centre on the authority of the States. Even on the inclusion of Article 356 they hoped that it would remain only as a reserved power not to be exercised ordinarily for the benefit of the Centre but to be exercised sparingly when it is most necessary to do so. But from the very beginning, the Central Government had started behaving like a guardian with all powers concentrated in it. Article 356, which is to be exercised very, very rarely, finds its proclamation repeatedly. On the plea to safeguard the unity and integrity of the country, the Central Government had started undermining the authority of the States which made the States weak and powerless. Though in the Constitution there are Union List, State List and Concurrent List to guide and direct the Governments—both at the Centre and in the States—to move in proper directions and not to confront with each other, yet the Central Government had become the most powerful agency for all practical purposes.

Therefore, the Commission on Centre-State relations was welcomed by all. Though the report of the Commission contains a good many important and valuable recommendations on several issues of significance, the pro-Centrist bias of the Commission is so glaring that even the authoritative reports and dicta of the founding fathers and the Supreme Court of India in favour of the States' rights have been ignored. The Commission observes that "the primary lesson of Indian history is that in a vast country only that polity or system can endure and protect its unity, integrity and sovereignty against external aggression and internal disruption which ensures a strong Centre with paramount powers. At the same time, its traditional diversities also should be taken care of. Though the Commission observes that the role of the Union now expands to the areas in the State field, yet the Commission has not prescribed better measures to prevent such intrusion. With regard to legislation, an item in the Concurrent List, the Commission observes that the convention to have consultations with the State Governments individually and collectively should be strictly adhered to except in rare and exceptional cases like extreme urgency or emergency. The Commission has also recommended that ordinarily the Union should occupy that much field of a concurrent subject on which a uniformity of policy and action is essential in the larger interests of the nation, leaving the rest and the details for the States. The Commission has recommended establishment of an inter-Governmental council under Article 263 of the Constitution of India.

The Commission has recommended on many matters which are, more or less, found to be acceptable in regard to the legislature, the role of a Governor, deployment of Union armed forces in the state for public order duties, inter-Governmental council, economic and social planning, industry and agriculture, forests, food and civil supplies, inter-State river water disputes, trade councils and intercourse within the territory of India, mass media, language, Union Territories, etc. But these recommendations are also found to be inadequate to remove the growing grievances of the people. The most significant aspects of the Report is this, that it is not for more autonomy to the States but for a strong Centre with some liberal attitude and behaviour.

In regard to the States' resources the view of the Commission is quite inadequate. Let me cite examples from my own State. Assam is rich in her resources of oil, tea, coal and timber. But even for a small increase in the royalty on crude the State has to come to the Centre every time with a begging bowl. Every time when the State faces a crisis, it has to run to the Centre for help. The State has no autonomy or no power of its own to handle its problems separately and independently.

It is needless to state that India is a vast country with so many diversities. To keep the country united, the diversities will have to be given an equal treatment. Therefore, the call of the time is to review the structure of the Constitution and make it a federal one for all practical purposes by giving more autonomy to the States. I would like to plead that barring four subjects—defence, communications, finance and external affairs—all other subjects should be transferred to the States. By doing so it is not that the States will be given more powers, they would at the same time be having more responsibility for their own growth and development. The States will be fully responsible for their own development as also for any setback. This would make them more committed and more responsible than ever before. It will strengthen the inter-State relationship and it would also the economic and social development as the States will be on their own feet and they will have to face competition for their survival, for their growth and development. The feeling of being neglected and of being deprived of would fade away in the natural process. In fact, they would have the power and responsibility to determine their own course of action for their survival and development. On the other hand, the Centre would act as a cementing force. It would be the supreme guardian of the nation. It would be the responsibility of the Centre to keep the country integrated and united. It will be its responsibility to thwart all attempts by foreign powers to disintegrate the country. With a view to making the country stronger and to remove the dangerous tendencies, the Centre-State relations will have to be reviewed and reframed. This is also necessary to remove the inadequacies of the Sarkaria Commission Report. For this purpose a new committee will have to be constituted. When the Sarkaria Commission was constituted, even the Government of India had not expressed its views and it was only the Congress party that had submitted its views. Moreover if the views of only a few parties or people are taken, that does not represent the views of the whole country. Therefore my proposal is that, views from all concerned parties should be invited. It should not only invite views from the State Governments but also from a cross-section of people. This includes the views of various political parties. It should also invite views from the socio-cultural organisations that exist all over the country. The commission should in fact lay more emphasis on views of such organisations. View of academicians and eminent personalities should also be invited so that the country benefits from their suggestions. Academicians who are associated with various universities can give valuable suggestions. Eminent personalities outside the universities could also contribute significantly in this direction. The views of a cross-section of people could reflect the views of the country as a whole and it would help the commission to find a solution to the problems that the country is facing. With these few words I move the resolution.

[Dr. Nagen Saikia]

The question was proposed.

डा० रत्नाकर पांडेय (उत्तर प्रदेश) : माननीय सभापति जी, हमारे सदन के माननीय सदस्य डा. नगेन सैकिया ने राज्य और केन्द्र के संबंधों को मधुर बनाने के लिए और उन्हें और अधिक व्यापक बनाने के लिए जो प्रस्ताव रखा है उसके समर्थन और विरोध की बात तो बाद में है, उसके संदर्भ में अपने विचार प्रकट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । उन्होंने कहा है कि :

> "This House is of the opinion in order to provide more autonomy to the States and evolve a consensus in this regard, a Commission be constituted to examine the views of not only of State Governments but also of the cross-sections of people including the representatives of different political parties/groups, premier socio-cultural organisations, academicians and eminent personalities of different fields and report thereon."

इस संदर्भ में मैं सैकिया साहब का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था और उन्होंने राष्ट्रीय संबंध परिषद् की चर्चा की, सरकारिया कमीशन की चर्चा की, नागालैंड, मिजोरम व असम में जो आतंकवादी ताकतें या देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं, केन्द्र सरकार के विरुद्ध हैं और वे अलग होने की बात कर रही हैं भारत से, उसकी चर्चा की । भारत में अर्ध सैनिक बलों का उपयोग करके हम बंदूक की नोक पर सुधार नहीं ला सकते । लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, सरकार की नीतियां अनुपयुक्त सिद्ध हो रही हैं, लोग मुख्य धारा से कटते जा रहे हैं, अर्ध सैनिक बलों को लगाने से नुकसान हो रहा है । लेकिन इन सबके बीच में इन्होंने बड़े सम्मान पूर्वक इस बात को याद किया कि इंदिरा गांधी जब प्रधान मंत्री थी तो उन्हें राज्य और केन्द्र के संबंधों की व्यापकता का बहुत ध्यान था । उन्होंने सरकारिया कमीशन बनाया और सरकारिया कमीशन का उद्धरण देकर के संसद के दोनों सदनों में अनेक बार अनेक चीजें कही गई हैं और अंतर राज्यीय परिषद् की उप समिति की बैठक में, जो सितम्बर में हुई थी, उसमें भाषण करते हुए इस सदन के नेता और गृह मंत्री माननीय श्री एस.बी. चव्हाण ने कहा था :—

"केन्द्र और राज्यों के बीच संबंधों में सुधार के लिए वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में हमें मिलकर प्रयास करना चाहिए क्योंकि राजनीतिक स्थिति आज पहले की अपेक्षा कहीं जटिल है ।"

वह क्या जटिलता है, यह देश का हर नागरिक जानता है । स्वायत्तता मिलनी चाहिए, स्वायत्तता या एटॉनमी वह मूल ढांचा है जिस पर जनतंत्र की दीवारें खड़ी होती हैं, यह नींव है । लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जहां हम एटॉनमी की बात करते हैं वहां जब एकाउंटेबिलिटी की बात आती है स्वायत्तता की बात करते हैं और उत्तरदायित्व की बात जब आती है तो उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं । यह स्थिति इतनी दुखद और चिंताजनक, इतनी कागजी और इतनी जबानी हो गई है कि यथार्थ में उत्तर नहीं पाती है । इसलिए सैकिया जी ने जो प्रस्ताव किया है, उसमें मैं चाहूंगा कि एटॉनमी की बात हो । उसमें जितना अधिक डॉयलाग होगा—चाहे एमीनेंट लोग हों, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे विद्वान हों, चाहे और क्षेत्र के लोग हों, सब उस पर बात करें । लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तरदायित्व फिक्स होना चाहिए अगर राज्य और केन्द्र का संबंध स्थाई करना है, केन्द्र को कमजोर नहीं करना है तो निश्चित रुप से जब एटॉनमी की बात हो तो माननीय गृह मंत्री जी इस बात पर ध्यान दें । जब भी अंतर राज्यीय परिषदों की बैठक करें, उसमें केन्द्रीय मंत्री, अनेक प्रान्तों के मुख्य मंत्री और अनेक लोग सम्मिलित होते हैं तो एकाउंटेबिलिटी का क्या होगा ?

3 P.M.

कोई भी केन्द्रीय सहायता मिलने के पहले यह भरा जाना चाहिये राज्य सरकारों की ओर से कि अगर इस धन का इस कार्यक्रम का, इस योजना का

सही क्रियान्वयन हमने नहीं किया और टाईम बाउंड ढंग से इस काम को हमने अंजाम नहीं दिया तो राजनीतिक दृष्टि से चाहे वह किसी दल के लोग हों, चाहे रूलिंग पार्टी के लोग हों, चाहे विरोधी दलों की सरकारें हों उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा ही न कम हो बल्कि राजनीति में हिस्सा लेने से और रेस्पोंसिबिल पोस्ट देने से उन्हें डिबार किया जाये कि वह एम.पी., एम.एल.ए., मुख्यमंत्री और मंत्री नहीं हो सकते अगर आप एकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करियेगा तो चाहे आकाश से, चाहे कुबेर आकर के धन से सहायता करें, चाहे स्वयं अस्त्र-शस्त्र लिये इन्द्र आपकी सहायता करें, इस देश में आप न शांति स्थापित कर पायेंगे और न आप आर्थिक व्यवस्था में सुधार कर पायेंगे । केन्द्र और राज्य सम्बन्धों में यह विवाद सन् 1967 से शुरू हुआ था । पहली बार हमारे देश के स्वर्गीय नेता चौधरी चरण सिंह ने दल-बदल की शुरूआत सन् 1967 में की और.....(व्यवधान) ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (उत्तर प्रदेश) : 1952 में जवाहर लाल नेहरू जी ने शुरू किया था । जब राजाजी कौंसिल के मेंबर नहीं थे तो श्री प्रकाश जी ने उन्हें नोमिनेट कर दिया था । 1952 में जवाहर लाल नेहरू ने इसकी शुरूआत की थी ।

श्रीमती मीरा दास (उड़ीसा) : तब तक पाण्डेय जी आये नहीं थे । पाण्डेय जी को मालूम नहीं था ।

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: Rajaji was not a Member of the Legislative Council of Madras. He was nominated to the Council by the then Governor, Shri Prakasa to facilitate him to become Chief Minister.

डा० रत्नाकर पांडेय : वे बहुत बड़े लोग थे, उनकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : आपने जो डिफेक्शन की चर्चा की, उसका मैंने जवाब दिया कि डिफेक्शन कराकर इस काम को सबसे पहले इस देश के पहले प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने शुरू किया और जयन्ती नटराजन जी की जो स्टेट है—मद्रास, वहां से इसकी शुरूआत हुई है ।

डा० रत्नाकर पांडेय : उत्तर प्रदेश भारत का हृदय माना जाता है और वहां पर जो सन 1967 में या, शायद चौधरी साहब का नाम लेने से माननीय मालवीय जी को कुछ...(व्यवधान) मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं कि दल-बदल जो सन् 1967 में हुआ, उसके बाद उस समय से राज्यों का और केन्द्र के मतभेद का सिलसिला शुरू हुआ और राज्यों को अधिक अधिकार की मांग होने लगी और श्रीमति इंदिरा गांधी ने केन्द्र और राज्य सरकारों के सम्बन्धों में सुधार लाने के लिये बहुत दिनों से हर जगह से जो मांगें होती रहीं, उन सब का अध्ययन करने के बाद कांग्रेस की सरकार ने इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सरकारिया आयोग का गठन किया, जिसकी रिपोर्ट भी आयी और उन रिपोर्टों पर अभी मोडिफिकेशंस हो रहे हैं । गृह मंत्री जी ने अंतर्राज्यीय परिषद् की बैठक में इस बात पर जोर दिया था कि राज्य और केन्द्र के संबंधों को अधिक मधुर बनाया जाये और इससे मालूम होता है कि इस प्रश्न पर खुले दिमाग से दलों से ऊपर उठकर विचार करने की जरूरत है और आम सहमति इस पर हो ऐसी भी व्यवस्था करने की आवश्यकता पड़ेगी । तथा सब के लिये आचार संहिता बनाने की आवश्यकता पड़ेगी केन्द्रीय सरकार नये हालात में जो जहां देश टूट रहा है, विदेशी ताकतों द्वारा तोड़ने की कोशिश हो रही है, जहां अपने व्यक्तिगत हित साधनों के लिये लोग प्रांत और राष्ट्र को और भारत माता को भूले जा रहे हैं और अपने लिये ही सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहते हैं, व्यक्तिगतवाद का विस्तार हो चुका है समाजवाद के भीतर और जनतंत्र के भीतर, उस स्थिति में एतिहासिक कारणों से देश में निरंतर विकेन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है और इसकी वजह से राज्यों में नाराजगी पैदा हुई है । आर्थिक क्षेत्र में केन्द्र सरकार, जब कहीं बाढ़ आयेगी, कहीं सूखा पड़ेगा,

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

कहीं साइक्लोन आयेगा, कहीं धरती फट जायेगी, जैसे अभी हिमालय फटा पाप से, साम्प्रदायिक तत्वों के अयोध्या में मंदिर तोड़ने के बाद । भगवान हैं, जो चला रहे हैं संसार को और मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाता है और मंदिर को भंग नहीं किया जाता है । लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंदिरों को भंग किया और पांच छह मंदिर तोड़े, हिमालय फट गया, हजारों लोग उसके प्रभाव में आए। काश्मीर का किसी सदस्य ने जिक्र किया। काश्मीर में हमारी सरकार जितनी बहा . दुरी के साथ टैरोरिस्टों को पकड़ रही है, हमारे गृह मंत्री वहां जाकर जिस तरह से शान्ति और व्यवस्था कायम करने के लिए फारेन फोर्सेज को ऐलिमिनेट करने के लिए काम कर रहे हैं, उसकी सारी दुनिया में तारीफ की जा रही है। आपने वी.पी. सिंह को समर्थन दिया था तो उनके होम मिनिस्टर की बेटी को किडनेप कर लिया गया था....

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश) : अभी भी वहां जाओ, लाल चौक में राष्ट्रीय झंडा नहीं फहरा सकते....**(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पांडेय : हमारी सरकार इस देश को जोड़कर रखेगी आप तोड़ने का कुचक्र कर रहे हैं। सांप्रदायिकता में देश को जला रहे हैं। मंदिर मस्जिद के नाम पर हिन्दू मुसलमान के नाम पर इस देश के निर्दोष लोगों का जो खून बहा रहे हैं वह भारत के इतिहास के खून के छींटे अभी सूखे नहीं हैं।...

श्री रामदास अग्रवाल (राजस्थान) : आपकी सरकार देश को 40 साल में संभाल नहीं सकी।....**(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पांडेय : आपकी सरकार कभी आने वाली नहीं है.... **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : पांडे जी, रेजोलूशन पर बोलिए.....**(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पांडेय : काश्मीर की बात होकर उत्तर प्रदेश की बात आ गई। आर्थिक क्षेत्र में केन्द्र सरकार पर बराबर बोझ पड़ता है, यह मेरे कहने का आशय है। जब पिछले दिनों जनता पार्टी की सरकार थी तो किसानों के कर्ज माफी के नाम पर, तुष्टिकरण के नाम पर सारे बैंकिंग सिस्टम में गड़बड़ हो गई। वह निकम्मी सरकार जो थी उसने आर्थिक व्यवस्था को ही नहीं तोड़ा बल्कि उन्होंने वह सब किया जो किसी को नहीं करना चाहिए जनतंत्र में। देश की अर्थ-व्यवस्था को दूषित करने के लिए, इस देश में जो योजनाएं चल रही थीं उन योजनाओं को उन्होंने बुरी तरह से क्षत विक्षत किया और जो छोटे किसान थे, जो सीमान्त किसान थे उनको पैसा नहीं मिला। जो पूंजीपति थे, लैंडलार्ड थे उनको पैसा दिया। ....**(व्यवधान)**

श्रीमती मीरा दास : किसानों को देने को कह रहे हैं इसलिए कष्ट हो रहा है.....**(व्यवधान)**

डा० रत्नाकर पांडेय : सीमान्त किसानों को देना चाहिए।

महोदय, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक तीनों क्षेत्रों में स्वायत्तता की मांग की जा रही है। राज्यों का केन्द्र के साथ किस रूप में ताल्लुक हो इस पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। किसी भी लोकतांत्रिक गणराज्य में केन्द्र और राज्यों के संबंध की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। भारत का जो फैडरल स्ट्रक्चर है, जनतांत्रिक गणराज्य उस में राज्यों और केन्द्र के संबंध अच्छे तरीके से चल रहे हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने दुनिया के जितने भी जनतांत्रिक रूप हो सकते हैं, उन सब के अच्छे तत्वों को लेकर भारत की गरिमा के अनुकूल, भारत की प्रभुसत्ता के अनुकूल, भारत की व्यापकता के अनुकूल व्यापक जनजीवन की संतुष्टि के लिए हमारे संविधान का निर्माण किया था। उसके साथ ही जो सबसे नीचे दबा हुआ तबका है उसको अधिक से अधिक

लाभ मिले इसकी कामना की थी। सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं, कुल 247 सिफारिशें हैं, अगर उन पर मैं जाऊंगा तो कई दिन तक बोलना पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : आप रेजोलूशन एक्सेप्ट करने के बाद कीजिए।

डा० रत्नाकर पांडेय : 28 सितम्बर को जो बैठक हुई थी उसमें गृह मंत्री जी ने जो सब-कमेटी सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट पर जायजा लेने के लिए बनाई है और जिसमें कई प्रांतों के मुख्य-मंत्रियों ने भाग लिया, उसमें जमकर चर्चा हुई। मेरा निवेदन है कि उसको सामने आना चाहिए। एक टाइम बाउंड फ्रेम वर्क में उस रिपोर्ट को अच्छी तरह से छानबीन करके पूर्ण संतुष्टि के साथ सरकार सदन में बहस के लिए रखे। लेजिस्लेटिव कौंसिल बहुत से प्रांतों में समाप्त कर दी गई। यह इसलिए की गई कि लोगों को राजनीतिक लाभ मिले और केन्द्रीय व्यक्तित्व राज्यों के लाभ उठा सकें। इससे केन्द्रीय सरकार में और कुछ राज्यों में कटुता आई। आन्ध्र प्रदेश में एम.एल. सीज की सीटें बढ़ें इस संबंध में हम इस सदन में बिल पास कर चुके हैं। तमिलनाडु सरकार ने अपने यहां पुनः लेजिस्लेटिव कौंसिल स्थापित करने का आग्रह किया है और केन्द्र सरकार से कहा है कि इस पर जल्दी फैसला होना चाहिए। यह फैसला इसलिए होना चाहिए कि अधिक से अधिक लोग, जनतांत्रिक ढांचे जो खड़े किये गये हैं शासन चलाने के लिए उनके माध्यम से अपना निर्णय कर सकें जनहित में, इसलिए यह आवश्यक है। मेरा यह भी अनुरोध है कि युनिफार्म पालिसी इस संबंध में केन्द्रीय सरकार कोई न कोई लागू करे। एकरूपता अनिवार्य है। यदि जरूरी हो तो इसके लिए संविधान में संशोधन किया जाए। मेरा सरकार से यह भी आग्रह है कि कांकरेंट लिस्ट की बात चलती है। कोई प्रश्न पूछिये, कोई जिज्ञासा करिये तो मंत्रियों का जवाब आता है कि यह राज्य का विषय है। विषय देश की जनता का है। राज्य सरकारें इस पर अपने स्वार्थों के कारण ध्यान नहीं देती। जैसे शिक्षा है यह केन्द्र का विषय होना चाहिए। टैक्स लागू होने की बात है इसमें एकरूपता होनी चाहिए। कोर्स की बात है जो देश में विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। यह कोर्स राज्यों में अपने-अपने ढंग से न हो बल्कि इसमें एकरूपता हो। देश में भारत को पढ़ें, भारत के इतिहास को पढ़ें। क्षेत्रीयता से अलग हट कर हम को इन चीजों को करना होगा। प्रान्तीय सरकारों को उनकी जरूरत के मुताबिक और अधिक वित्तीय तथा एडमिनिस्ट्रेटिव हक दिया जाए। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा उसके साथ एकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर एकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करते हैं तो उनके सामने कुबेर का खजाना भी रख दीजिए फिर भी मांग होगी और स्टेट सरकारें उसका कोई हिसाब-किताब देने को तैयार नहीं होगी। यह दुख की बात है। देश की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता के लिए केन्द्रीय सरकार का मजबूत होना जरूरी है।

67 की बात मैंने की। 77 से 80 तक क्या हुआ कि एक मिलीजुली सरकार आई, जैसे संतरा होता है। इन्दिरा जी कहती थी संतरे की तरह यह सरकार है और संतरे की फांक जैसे अलग-अलग हो जाती है इसी तरह से वह भी बिखर गई। इसका परिणाम क्या हुआ कि अरबों-खरबों रुपयों के कर्ज में यह देश डूब गया। इतना ही नहीं देश का जो स्वाभिमान और इज्जत थी दुनिया में वह पैरों तले रौंद डाली गई। पिछली सरकार ने बदले की भावना से राज्यपालों को हटाया, मुख्य मंत्रियों को सस्पेंड किया। अभी सैकिया साहब कह रहे थे कि नागालैंड, मिजोरम असम, मेघालय और दूसरे प्रांतों में किसने परिवर्तन किया? विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार जो अस्थिर चली आ रही थी उसने इन सरकारों को एक झटके में अपने प्रधान-मंत्रित्व की राजनीतिक पिपासा और लिप्सा का

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

साधन बनाते हुए उनको भंग किया। ऐसे ऐसे राज्यपालों को नियुक्त किया जो राज्यपाल उनके कहने पर चलें, जनता की भावना के अनुरूप काम न करें। ये सब चीजें ऐसी हैं जिनका अंत करना चाहिए। सरकारिया कमीशन ने अच्छी तरह से महसूस किया है कि केन्द्र को मजबूत रखा जाये। सरकार से और आपके माध्यम से मैं माननीय गृह मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि संविधान के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन न किया जाय जिससे देश की एकता और अखण्डता को खतरा पैदा हो। सरकारिया कमीशन ने इस बारे में बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिश की है। उसे मैं कोट करना चाहता हूं—

> "The working of the Constitution in the last 37 years has demonstrated that its fundamental schemes and provisions have withstood reasonably the inevitable stress and strains of the movement of the heterogeneous society towards its development goals".

और भी आगे उसने कहा है जिसको इस सदन को ध्यान में रखना होगा।

> "It is neither advisable nor necessary to make any drastic changes in the basic structure of the Constitution".

जब हम संविधान को ही तोड़ देंगे तब कोई चीज हम मान्य नहीं रखेंगे। सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट है उस पर जम कर विचार विनिमय होना चाहिए। लेकिन संविधान में जो बात हमारे पूर्वजों ने राज्य और केन्द्र के संबंधों को लेकर रखी है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह बात ठीक है कि तनावपूर्ण वित्तीय संबंध स्टेट्स के हैं, लेकिन वे संबंध बने हुए हैं। केन्द्रीय सरकार को जो आय उपलब्ध होती है उसका बड़ा हिस्सा राज्यों को दे देती है। राज्य सरकारें फिजूलखर्ची करते हैं और उसके बाद बचे हुए धन का राजनैतिक आधार पर बंटवारा कर लेती हैं और केन्द्रीय सरकार मूक दर्शक की तरह से किंकर्त्तव्य विमूढ़ हो निरुपाय शासन की तरह से देखती रहती है। मैं जानना चाहता हूं कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? सत्ता के विकेन्द्रीकरण के संबंध में यह बात ध्यान में रखी जाय कि जब केन्द्र इस देश में कमजोर हुआ है तब तब विदेशी ताकतों ने अपना सिर उठाया है और जब जब भी कांग्रेस के अतिरिक्त मिली-जुली सरकारें इस देश में दो बार आई तब तब गृह मंत्री के शब्दों में जो सुपर पावर्स हैं उन्होंने इस देश के बड़े बड़े शासन करने वाले नेताओं को अपने सामने झुकाया है और भारत माता के साथ समझौता और सौदा करने के लिए लोगों ने देश को बेचने की कोशिश की है।

बी.जे.पी. के राज्यों से ज्ञापन भी मिला है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने सम्मिलित रूप में गृह मंत्री को ज्ञापन दिया है। वे चाहते हैं कि केन्द्र में टेक्स लगाने की जो चीजें हैं उनके ऊपर वे खुद टेक्स लेना चाहते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में राजस्व व्यय का 22.4 प्रतिशत भाग केन्द्र ने राज्यों को उपलब्ध कराया है। यह छठी योजना में बढ़कर 41.1 परसेंट हो गया है 1974–75 में यह 61.89 परसेंट हो गया। 1986–87 में यह घटकर 57.2 परसेंट रह गया इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह से प्रथम पंचवर्षीय योजना में वित्त आयोग द्वारा 31.2 प्रतिशत संसाधनों का वितरण किया गया और 24.5 प्रतिशत संसाधन योजना आयोग द्वारा आवंटित किये गये थे। अब ऐसे राज्य भी हैं जिनमें डंडे के बल पर सब कुछ किया जा रहा है। इसमें साम्प्रदायिक राज्यों का उदाहरण मैंने उत्तर प्रदेश का दिया है। अब मैं बिहार की चर्चा करना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : अब बहुत हो गया है। आप समाप्त कीजिये।

डा० रत्नाकर पांडेय : बिहार सरकार केन्द्रीय सरकार से सौतेले व्यवहार का रोना रोती है। उसका कहना है कि आन्तरिक साधन उसे उपलब्ध नहीं होते हैं। अपने पिछड़ेपन का मुख्य कारण यही बताते हैं। लेकिन सर्वमान्य बात यह है कि निर्माण कार्यों पर बजट का 60 प्रतिशत हिस्सा बिहार सरकार के अफसरों, ठेकेदारों और राजनेताओं में बंट जाता है। 40 प्रतिशत खर्चा होता है इसमें कोई आधारभूत संरचना नहीं बन पाती। हमारे स्वनामधन्य मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने छापेमारी अभियान को सार्थक बना दिया। बिहार में इंजीनियरों के घर पर छापे पड़े। सी.बी.आई. द्वारा मारे गये छापों में करोड़ों करोड़ रुपए इंजीनियरों के घर पर मिले।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Dr. Pandey you have to resume your seat now. I will call the next Member.

डा० रत्नाकर पांडेय : अबैध सम्पत्ति जो कि सरकारी सम्पत्ति है . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MOSODKAR): Please conclude. You have already exceeded your time.

डा० रत्नाकर पांडेय : पांच मिन्ट।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : पांच मिनट नहीं दे सकता हूं, I will give you one minute.

डा० रत्नाकर पांडेय : मुख्य मंत्री के इर्द-गिर्द ऐसे लोग जमा हुये हैं जो डंडे के बल पर गोली चलाते हैं। पिछले चुनाव में आपने देखा कि इससे कितने ही लोग कालकलवित हो गये। डंडे के बल पर अगर किसी प्रांत का शासन चलता हो और केन्द्र सरकार मूक दर्शक बनी बैठी रहे तो मैं समझता हूं कि यह जनता के साथ अन्याय है। ऐसी सरकारें चाहे वे धार्मिक और साम्प्रदायिकता के नाम पर इस देश को तोड़ने की कोशिश कर रही हों, चाहे आर्थिक दोहन कर रही हों, चाहे देश को बांटने के लिए मिलिटेंट फोर्सेस से बात होती हो, नार्थ ईस्टर्न स्टेट्स में चाहे अल्फा वाला प्रांत हो और चाहे लिट्टे वाला प्रांत हो, चाहे पंजाब के टैरोरिस्ट हों, चाहे बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में नक्सलाइट के नाम पर सर उठाने वाले तत्व हों, उनके साथ समझौते की बात करने का समय बीत गया है। उनके साथ सरकार को कड़ाई से निपटना होगा। एक तो गरीबी के कारण आदमी विद्रोही हो जाता है। छांटना पड़ेगा केन्द्र सरकार को कि कौन लोग शोषण, गरीबी, अत्याचार और अनाचार के कारण विद्रोही हुए हैं और कौन विदेशी ताकतों के इशारे पर उनके साथ मिल कर इस देश को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। इन सारी चीजों का विस्तृत विवरण सदन के सामने, जो रिव्यू कमेटी आपने बनाई है, उसके माध्यम से आना चाहिये। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं और कई बार आपने घंटी बजाई है। अब मैं अपने कागज रख कर दो शब्द कहना चाहता हूं।

महोदय, हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी ने कहा था, खुले आम कहा था कि हमें विकेंद्रीकरण करना है। जो एयर कंडीशन कमरों में बैठकर योजनाएं बनती हैं, गांव के विकास की, गरीबों के उत्थान की, वे एट दी स्पाट बननी चाहियें। इनका कार्यान्वियन यहां दिल्ली में बैठकर या प्रदेशों की राजधानियों में बैठकर नहीं होगा, बल्कि जहां के लिए यह योजना है, वहां बैठ कर उन योजनाओं का कार्यान्वियन किया जायेगा। इसलिए उन्होंने ग्राम पंचायतों को अधिकार देने की, नगरपालिकाओं को अधिकार देने की उन्होंने बात की थी। इस पर वे नेशनल डिबेट करा कर इस प्रस्ताव को व सदन में लाये थे। लेकिन हमारे विरोधी दल में बैठ हुए जो लोग हैं उन लोगों ने उस सरकार को गिरा दिया। उनका कहना था कि विकेंद्रीकरण के द्वारा सीधे इंडिविजुअल को उसका लाभ दिया जाये और जो स्ट्रक्चर हमारे ब्लाक लेवल का है, पंचायत लेवल का है, मोहल्ला लेवल का है, शहर लेवल का है वहां तक यह पहुंचे

[डा० रत्नाकर पाण्डेय]

और उन्हीं के माध्यम से सारी योजनाओं का कार्यान्वियन हो । इसकी चिंता इस सरकार को करनी चाहिये क्योंकि यह सरकार राजीव गांधी के बलिदान पर सत्ता में आई है । इसलिए उनके इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए राज्य और केन्द्र के संबंधों में मधुरता तो आये ऐसा गृह मंत्री ने कहा । माधुर्य बड़ी अच्छी बात है लेकिन शुगर कोटेड क्वीनन को अगर इसके लिए देना पड़े, स्वायत्तता और एकाउंटेबिलिटी को स्थापित रखने के लिए तो वह भी दी जाये ।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं । राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम जो एक रुपया भेजते हैं दिल्ली से तो उपभोक्ता के पास 15 पैसे ही पहुंचता है । आर्थिक व्यवस्था हमारी इतनी दूषित कर दी गई विरोधी दलों की सरकारों द्वारा जब वे दो बार सत्ता में आई थी कि जो चीज हम यहां से भेजते हैं वह सब चीज उनके पास नहीं पहुंच पाती । जो धन हम यहां से भेजते हैं जनता तक नहीं पहुंच पाता वह ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन पर जाता है, प्लानिंग पर जाता है, मीटिंग पर या यात्रा भत्तों में खर्च हो जाता है ।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : यह उन्होंने अपने शासनकाल में बोला था या दूसरे के शासनकाल में बोला था। राजीव गांधी ने अपने शासन के बारे में यह कहा था कि लोगों तक 15 पैसा ही पहुंच पाता है । आप अपने शासनकाल के बारे में बोलिये कि क्या हुआ ?

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : आपके शासनकाल में एक भी पैसा नहीं पहुंचा ।

डा० रत्नाकर पांडेय : राजीव गांधी इतने बड़े सत्यवादी थे । उन्होंने यहां सैद्धांतिक बात कही थी कि सरकार जो पैसा भेजती है, चाहे कोई भी सरकार हो, जनता तक एक रुपये में से 15 पैसे ही पहुंचता है । अपकी आने वाली सरकारों ने जो कुछ किया (व्यवधान) जनता पार्टी की सरकार जिसके समर्थक भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को गिराया । एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा की स्थिति में विश्वनाथ प्रताप सिंह आए और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इस देश की स्वायतता और राज्यों तथा केन्द्र के संबंधों को तहसनहस कर दिया । यही कारण है कि आज जनता पार्टी में गली के कुत्तों की तरह लोग लड़ाई कर रहे हैं, जुते में दाल बंट रही है । विश्वनाथ प्रताप सिंह जो नेशनल लीडर बनते थे, अमेठी के चुनाव में वे गांव के नेता बन गए और उन्होंने राम सिंह के कंधे पर बन्दूक रख कर चलाने की कोशिश की, उनकी हम जमानत जब्त करा कर के आए हैं वहां से अगर जनता पार्टी में जरा भी शर्म है वह राष्ट्र की राजनीतिक परिशुद्धता के लिए वचनबद्ध है तो उनको अपनी पार्टी से निकाल कर उनकी राजनीतिक समाप्ति कर दे क्योंकि एक * का जो हश्र होता है वह हमने अमेठी में किया है । अगर आपको जनतंत्र में विश्वास है और राज्यों तथा केन्द्र के संबंधों को आप स्थिर रखना चाहते हैं तो * * * उसको राजनीति से समाप्त कर दें उसकी राजनीतिक समाधि बना दी जाए तब इस देश का जनतंत्र चलेगा, राज्य और केन्द्र सरकार का संबंध सुधरेगा । इन शब्दों के साथ सैकिया जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसके तत्व और तथ्यों में और बहस होनी चाहिए लेकिन accountability must be fixed. We are going to allow autonomy.

इन शब्दों के साथ आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHAIKAR ANNAJI MASODKAR): Accountability is a principle which we must follow and as far as time is concerned we are accountable to this House. Rules are very clear. Rule 161 permits 15 minutes

*Expunged as ordered by the Chair.

you. Otherwise, no Resolution can be taken up. Now we proceed to Shri Sarada Mohanty.

SHRI SARADA MOHANTY (Orissa): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the Resolution brought forward by Dr. Nagen Saikia.

States must be given more autonomy to enable them to be prosperous. Some States are rich in natural minerals and forest products, but they have no autonomy, thty are unable to do anything without the approval of the Central Government. Same is the case with Orissa. Orissa is rich in minerals, but it is unable to utilise the same by estabilishing new industries as the Centre has to approve their proposals. Orissa has got plenty of manpower, but the people there are unemployed. As we do not have enough industries, we are not able to employ our people. In order to earn their livelihood and save their family members from starvation they are going abroad and working as coolies. The State has got plenty of iron ore. The State Government has sent so many proposals to the Centre for approval. A proposal was sent for setting up of a second steel plant at Daitari to exploit the ores, but no approval was given to the State. Recently the Centre has relaxed the industrial policy. So, the State is proceeding to have some industries to exploit mines and minerals and to solve the huge unemployment problem. Our State has got natural minerals and also huge manpower. So, establishing new industries is not a problem. But in the absence of industries people are going abroad as coolies. So if the Centre does not give the State full power to deal with minerals, the State cannot prosper.

Secondly, we have got plenty of coal but we are not able to earn much out of it because the Supreme Court has barred us from collecting cess. And the royalties which we are getting from the Centre are very little. So, we have to deal with our own case. For this reason, as the Centre is not giving us autonomy to deal with these cases, there is agitation throughout the country like in Assam, Kashmir and other States.

Therefore, in order to see that the States become prosperous in every respect, the Centre must give autonomy to them. With these words, Sir, I support the Resolution.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Shri S. S. Ahluwalia.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया (बिहार) : महोदय....

श्री राम अवधेश सिंह : महोदय, मुझे जरा बोलने दीजिए मैं जरा पिछले सत्र में नहीं था (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHAS KARANNAJI MASODKAR): If he is Sir, in connection with this, I want to ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): He has already risen in his seat. You could have requested me before he rose.

श्री राम अवधेश सिंह : मैं पिछले पूरे सत्र में नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It is for Mr. Ahluwalia. Are you willing, Mr. Ahluwalia?

SHRI S. S. AHLUWALIA: Let him speak. I will speak after him.

श्री राम अवधेश सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, बहुत कृपा हुई कि आपने मुझे समय दे दिया और अहलुवालिया जी के प्रति भी धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने समय दिया।

महोदय, जिस प्रस्ताव को सैकिया साहब ने प्रस्तुत किया है व कई दृष्टियों से आज महत्वपूर्ण है। इन्होंने ठीक ही कहा कि सारे देश में अलगाववादी ताकतें सर उठा रही हैं और इनके कई बहाने । लेकिन जो स्थिति आज है भारतीय हैंध की वैसी डिक्टेटोरियल स्थिति कभी हीं हुई थी। महोदय, जो संविधान की यवस्था है, जो मैं पढ़ूंगा, मैं बताना हता हूं कि शिडयूल सेवेन्थ को 52वीं, 53वीं, 54वीं, 55वीं, 56वीं, 76वीं,

84वीं, 86वीं, 92वीं, 92एवीं और 92बीवी प्रविष्टियों को आप पढ़ेंगे तो इनसे स्पष्ट हो जाता है कि केन्द्र सरकार ने राज्यों के तमाम विकास के संसाधनों पर अकुश लगा लिया है । मैं इनकी शब्दावली पढ़ना चाहता हूं । "संघ के और राज्यों के लेखाओं की लेखापरीक्षा" प्रविष्टि 76 में है । 53वीं प्रविष्टि में है "तेल क्षेत्रों और खनिज तेल सम्पदा का विनियमन और विकास, पैट्रोलियम और पैट्रोल उत्पाद, अन्य द्रव और पदार्थ जिनके विषय में संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि वे खतरनाक रूप से ज्वलनशील हैं ।" तो महोदय यह तर्क आने वाली पीढ़ियां मानने के लिए तैयार नहीं होंगी देश के किसी हिस्से में क्योंकि वह पदार्थ खतरनाक रूप से ज्वलंतशील है, इसलिए वह केन्द्र के कब्जे में रहे । इस बात को कभी किसी राज्य की आने वाली पीढ़ी स्वीकार नहीं करेगी । पैट्रोलियम अगर पैदा होता है कहीं, तो इसलिए वह केन्द्र के कब्जे में रहेगा कि वह ज्वलंतशील है, यह कोई र्क का तरीका हुआ ?

दूसरे उनका तरीका क्या है—वह 52 में क्या कहते हैं : "वे उद्योग जिनके संबंध में संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है, एक्सपीडिएंट है, पब्लिक इंट्रेस्ट में एक्सपीडिएंट है" यह कह कर सारे जो साधन हैं, इंडस्ट्रीज हैं, जिनसे स्टेट को रिसोर्सेज हो सकते हैं, वह अपने कब्जे में, नियंत्रण में सारी इंडस्ट्री दिल्ली सरकार ले लेती है ।

यही नहीं, 54 में है कि: "उस सीमा तक खानों का विनियमन और खनिजों का विकास, जिस हद तक संघ के नियंत्रण के अधीन—ऐसे विनियमन और विकास को संसद विधि द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित करे"। खानों में और तेल क्षेत्रों में श्रम और विनियमन ।

मान्यवर, इन्हीं कारणों से आज सोवियत संघ टूटा है, जो कारण इस संविधान में मौजूद हैं । राज्य क्षेत्र सारे आर्थिक स्रोतों पर संविधान में आप नियम बना कर कहते हो कि केन्द्र का अधिकार होगा । उस पर संघ क अधिकार रहेगा और जिस सूबे में, जिस राज्य में, जिस यूनिट में खनिज पाये जाते हैं, उसको आप कहते हैं कि कोई एक्सपीडिएंट नहीं है—इन दी आई आप दी पब्लिक, इन दी पब्लिक इंट्रेस्ट—इस बात को कह कर आप उसके अधिकार को छीनोगे, तो वही हस्र हमें होने की संभावना नजर आती है, जो रूस के साथ हुआ है ।

हमारे यहां, मान्यवर, बिहार में सारे मुल्क के 45 प्रतिशत मिनरल रेसोर्सेज हैं, 45 प्रतिशत अलोन, और सबसे गरीब राज्य कौन है ? बिहार है । सब से कम परकैपिटा इन्कम किसका है ? बिहार का है, क्योंकि यही सारी प्रविष्टियां और कानून जो संविधान की इस व्यवस्था में है, इसके जरिए हमारे खनिज पर अधिकार इनका है ।

अब रायल्टी हमें देते हैं । रायल्टी माने मालिकाना कर, मालिक हम हैं, हमारी यह मिनरल्ज है और रायल्टी लगायेगा, केन्द्र, माल हमारा और दाम तय करोगे तुम—यह बात चलने वाली नहीं है । कोयला हमारे यहां और रायल्टी तय करेगा कौन ? दिल्ली सरकार करेगी और वह रायल्टी फिक्स करके हमको दे देगी । कितना रायल्टी देती है ? लोहे पर 250 पैसे प्रति टन रायल्टी प्रस्तावित है अभी, ओरिजनल हमारे यहां बिहार में बारह आने प्रति टन और अभी ढाई रुपये प्रति टन प्रस्ताव है । श्री लालू प्रसाद यादव ने बहुत गुस्सा किया, तो तीन रुपये प्रति टन का प्रस्ताव किया—कि ढाई रुपये टन से तीन रुपये टन आयरन ओर पर हमको बढ़ा दो । गजब है एक टन में, मान्यवर, छह क्विंटल स्टील निकलता है और छह क्विंटल स्टील का दाम दस हजार रुपये होता है । हमको मिलता है ढाई रुपये, जिसकी धरती से आयरन ओर निकले, जिसकी धरती पर संशोधित हुआ, परिष्कृत हुआ,

जिसकी बिजली, जिसका पानी, जिसकी श्रम-शक्ति से स्टील बना, उसको मिलता है ढाई रुपया । वह महाराष्ट्र में बिकता है, तो महाराष्ट्र की सरकार उस कन-साईनमेंट टैक्स और सेल्स टैक्स लगा कर 10, 12 या 15 प्रतिशत तो उसको मिल गया, एक हजार या डेढ़ हजार रुपये तक—उत्तर प्रदेश में हमारा स्टील बिकता है तो वह एक हजार रुपये टन ले लेता है और दिल्ली सरकार 16 प्रतिशत एक्साईज ड्यूटी ले लेती है, 4 प्रतिशत सेंट्रल सेल्स टैक्स ले लेती है, 20 प्रतिशत दिल्ली सरकार ले लेती है ।

श्री राम अवधेश सिंह : तो 55 लाख टन स्टील पैदा करने वाले बिहार को केवल ढाई रुपये टन आयरन ओर के हिसाब से मिलता है और एक टन आयनर ओर का जिस राज्य में स्टील बिकता है उसको मिलता है हजार रुपये और दिल्ली सरकार लेती है दो हजार रुपये । इस तरह का शोषण तो कोई विजेता राष्ट्र भी किसी पराजित राष्ट्र के साथ नहीं करता जितना शोषण दिल्ली सरकार चला रही है । इस तरह का शोषण आगे चलने वाला नहीं है । मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो राज्यों को अधिकार था, राज्य की सूची में जो प्रविष्टी 50 है उसमें राज्यों को सेस लगाने का अधिकार था, हमारे खनिज पर हमारा अधिकार था । खनिज पर सेस लगाने का, अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया । इस सरकार का दायित्व था, दिल्ली सरकार का दायित्व था कि संविधान में संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको अप्रभावित करके और फिर हमारे अधि-कार को देती । अगर यह दिल्ली सरकार ऐसा नहीं करेगी, केन्द्र ऐसा नहीं करेगा तो यह बगावत होगी । बगावत होगी और उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है जिसकी धरती से आयरन-ओर निकलेगा उसको ढाई रुपये मिलेगा और एक टन आयरन ओर से निकला माल जहां बिकेगा वह एक हजार रुपये टन लेगा और दिल्ली सरकार दो हजार रुपये टन लेगी । इस तरह का शोषण आज तक दुनिया में कभी कोई विजेता राष्ट्र भी पराजित राष्ट्र के साथ नहीं करता । . . . . (व्यवधान) दूसरा माननीय, यह गाडगिल फार्मूला चलाकर रखा है । व्हाट इज गाडगिल फार्मूला ? गाडगिल महाराष्ट्रियन थे । उन्होंने ऐसा उपाय निकाला कि जो धनी प्रदेश हैं, जो उन्नत प्रदेश हैं, उनको केन्द्रीय विकास राशि से ज्यादा पैसा पांच साला योजना में मिले तो उन्होंने कहा कि जो उन्नत राज्य हैं, जो धनी हैं उनको केन्द्र सरकार ज्यादा पैसा देगी और जो कमजोर हैं, जो पिछड़ गए हैं, उनको कम देगी । लेकिन इस भाषा में नहीं कहा । अगर इस भाषा में कहते तो बगावत हो जाती । तो उस भाषा को बड़ी चातुरी से बदल दिया । क्या बदला, कहा कि जो राज्य अपने आंतरिक स्रोतों से जितने संसाधन इकट्ठा करेगा उसी के अनुरूप भारत सरकार पांच साला योजना में विकास राशि आवंटित करेगी । कही वही बात, लेकिन ऐसा घूमा दिया कि पिछड़े राज्यों के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार राज्य के लोग, उड़ीसा के लोग, मध्य प्रदेश के लोग या बंगाल के लोग यह समझ नहीं पाएं । क्या बोले । बोला तो सीधा । बोला कि जो धनी राज्य है उसको ज्यादा धन ही देंगे । बोला कि जो बेटा मजबूत है उसको दूध, मलाई, हलवा, मोहनभोग, बदाम, पिस्ता देंगे और जो बेटा कमजोर है उसको सतुवा देंगे । जो बीमार है उसको सतुवा देंगे । यह बोला । लेकिन इस बात को लोगों ने समझा नहीं । हमारा कहना है कि विकास का केन्द्रबिंदु आदमी है । आदमी के लिए पढ़ाई की जरूरत है, आदमी के लिए दवाई की जरूरत है, आदमी के लिए रोजगार की जरूरत है, आदमी के लिए मकान की जरूरत है, आदमी के लिए परिवहन की जरूरत है । इसलिए विकास का केन्द्रबिंदु आदमी होना चाहिए और हर योजना का मूल उद्देश्य विकास होना चाहिए और आदमी का विकास । तो जिस सूबे की आबादी ज्यादा है वहां आबादी के अधार मिलना चाहिए । आबादी के आधार पर सातवीं पंचवर्षीय योजना में जहां 24 हजार करोड़ उत्तर प्रदेश को मिलता जहां 18 हजार करोड़

[श्री राम अवधेश सिंह]

बिहार को मिलता, वहां बिहार को मिला केवल 5000 करोड़ और उत्तर प्रदेश को मात्र 11 हजार करोड़ मिला इसलिए महोदय, यह गाडगिल फार्मूला को खत्म करने का समय आ गया है। जो तीसरी बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं वह है रेल मालभाड़ा समानीकरण की नीति को जब तक आप समाप्त नहीं करेंगे तब तक खनिज बहुल इलाके में औद्योगीकरण की संभावना पनप ही नहीं सकती हैं। उसकी संभावना ही समाप्त हो गयी हैं क्योंकि जिस कीमत पर लोहा, तांबा, अभ्रक, मेंगनीज, बाक्साइट, फायर क्ले, चायन क्ले युरेनियम बिहार में मिलता हैं, उसी कीमत पर यह पहुंचा दिए जाते हैं बांबे में, अहमदाबाद में, पूने में तो फिर उधर के उद्योगपति हमारे यहां कारखाना लगाने क्यों जाएगा? यह विश्वभर, का अर्थशास्त्र का सिद्धांत हैं कि जहां कच्चा माल मिलता है, उसके कारखाने भी वही अगलबगल में खड़े होते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कपास पैदा होता है तो वहां कपड़े की मिलें हैं। बंगाल में जूट पैदा होता हैं वहां जूट मिलें हैं। बिहार में धान पैदा होता हैं, वहां चावल मिलें हैं। लेकिन बिहार में ये जो सारी धातुएं मैंने गिनायी, वह सारे देश की 45 परसेंट होती हैं, लेकिन उसका कारखाना वहां नहीं खुलता हैं। उसका कारखाना बंगलौर में और पूने में खुलता हैं...(व्यवधान) भिलाई तो लोहा, स्टील पैदा करता हैं। भिलाई का स्टील व लोहा बंबई जाता है पूने जाता हैं, अहमदाबाद जाता हैं और बाहर जाता हैं।

तो मान्यवर, जिसे हम फ्रेट इक्युलायजेशन या रेल माल भाड़ा समानीकरण की नीति कहते है, आप जब तक इसको समाप्त नहीं करेंगें तब तक खनिज बहुल इलाकों का विकास नहीं होगा और यह क्षेत्रीय विषमता इतनी बढ़ सकती है कि जो आशंका नगेन सैकिया जी ने व्यक्त की हैं, वह आशंका आगे बढ़ेगी। वह आशंका यथार्थ में चरितार्थ होगी। मान्यवर, मैं अलगाववादी शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन स्वायत्तता की मांग बढ़ेगी, मजबुत होगी।

मान्यवर, डा० लोहिया ने कहा था कि चौखंभा राज जब तक इस देश में राजनितिक तौर पर स्थापित नहीं होगा तब तक इस देश में न तो जम्हूरियत कायम हो सकती हैं और न आर्थिक रूप से क्षेत्रीय विषमता को मिटाया जा सकता है। इसलिए मान्यवय, राजनीतिक रूप से चौखंभा राज की जरूरत है। चौखंभा राज आपके लिए एक मुहावरा हो सकता है, लेकिन मैं आपको दो मिनिट में उसकी व्याख्या कर देना चाहता हूं। जम्हूरियत में चौखंभा राज-व्यवस्था चार खंभे पर आधारित होनी चाहिए — दिल्ली, प्रदेश, जिला और पंचायत। साथ ही इन चारों को आटोनोमी होनी चाहिए अपने-अपने क्षेत्र में। जिला पुलिस को पंचायत के क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और दिल्ली से कोई स्विच दबाकर किसी गांव के नागरिक को गिरफ्तार नहीं कर सके जब ऐसा अधिकार मिलेगा तब जाकर सही मायने में जम्हूरियत होगी और तब आटोनोमी दी जा सकती है। आटोनोमी की एक अलग व्याख्या हो सकती है.... **(समय की घंटी)** ....

मान्यवर, दो-तीन मिनिट में अपनी बात कहकर समाप्त कर दूंगा। आपके मन लायक बात कह रहा हूं। सबको पसंद आती होगी, लेकिन आप कुर्सी पर है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : दो मिनिट में समाप्त कीजिए।

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं कि आज डेढ़ खंभे की राज व्यवस्था इस देश में है। हम चहते हैं कि चार खंभे की हो। डेढ़ खंभे में एक तो दिल्ली में है और आधा राज्य में है। जिला और पंचायत में तो कुछ है ही नहीं। मान्यवर, जिस हाथ से, जिस इच्छा शक्ति से एक मन्दाना एकमुखिया पर मोहर लगाता है, वह उसी इच्छा शक्ति से जिला व पंचायत के प्रतिनिधि को चुनता है।

और वही संसद के प्रतिनिधि को चुनता है, लेकिन लोकसभा और विधान सभा के प्रतिनिधि के अधिकार में और जिला परिषद और पंचायत के प्रतिनिधि के अधिकार में आकाश व जमीन का फर्क है। इसलिये इस फर्क को मिटाना होगा और यह तब मिटाया जायेगा, जब चौखंबा राज स्थापित होगा, सही मायने में तभी विकेन्द्रीयकरण होगा। इसे आप को करना होगा। जब यह राजीव जी का बिल आया था पंचायती राज का, तब मैंने कहा था – मैं इस बिल का स्वागत करूंगा, लेकिन तब जबकि जिला में कलेक्टर जैसे खूंखार जानवर के पद को समाप्त करेंगे, एस०पी० जैसे खूंखार जानवर के पद को समाप्त करेंगे और वहां चुनी हुई प्रतिनिधि सभा का प्रतिनिधि होगा, जो जिला का पदाधिकारी होगा, जैसे आज सारे देश का संचालक प्रधानमंत्री है और जैसे प्रदेश का संचालक मुख्य मंत्री है।...(*व्यवधान*)....

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN (Tamil Nadu): Sir, I am on a point of order. How can he say *Janwar* and all that?

श्री राम अवधेश सिंह : अरे, कुछ नहीं है, खूंखार जानवर इज नथिंग, वह कोई गाली नहीं है। खूंखार जानवर के मायने हैं...(*व्यवधान*)...

श्रीमती जयन्ती नटराजन : आई०ए०एस० आफिसर क्या जानवर होते हैं? Let us keep the dignity of the House.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : कोई नहीं, अभी-अभी जेल से छूटकर आ रहे हैं।

श्री राम अवधेश सिंह : जिला कलेक्टर का पद अंग्रेजों ने 1857 के बाद बनाया था हिन्दुस्तानियों को कुचलने के लिये, दबाने के लिये। इसी तरह सी०आर०पी०सी०, आई०पी०एस० पुलिस एक्ट, पुलिस मैन्युअल का निर्माण भी 1857 के गदर के बाद उन्होंने किया था ताकि आपके हिन्दुस्तानियों को दबाया जाय। यह खूंखार जानवर जैसा पद है, इसलिये इस पद को समाप्त किये बिना कोई भी डिसेंट्रलाइजेशन का काम नहीं हो सकता। जब तक जिला के पद पर निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होगा, जिला की देखभाल निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं करेगा, जैसे प्राइम-मिनिस्टर देश का है, चीफ-मिनिस्टर स्टेट का है, तब तक आटोनोमी की बात नहीं हो सकती।

मान्यवर, एक दो मिनट और लेना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भास्कर अन्नाजी मासोदकर) : नहीं-नहीं। अब समाप्त कीजिये।

Now I am calling Mr. S. S. Ahluwalia.

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Sir, in Private Members' Business, he can have new points, but he can't repeat them. (*Interruptions*).

SHRI RAM AWADHESH SINGH: I am not repeating, Sir. I have so many poists, if you permit me. ....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): He has so many points. (*Interruptions*).

Please conclude now.

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, मैं यह कह रहा था..(*व्यवधान*)..

DR. NAGEN SAIKIA: Sir, I have to go out for a few minutes. On my behalf, Mr. Vincent will be here to take note of the speeches.

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, मैंने यह बातें इसलिये कहीं कि जो बातें आटोनोमी की नगेन सैकिया जी ने अपने प्रस्ताव में की है, उस पर केन्द्र सरकार को बहुत गंभीरता के साथ विचार करना चाहिये। जहां तक संभव हो सके..(*व्यवधान*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You complete it now.

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, मैं कह रहा हूं कि जहां तक संभव हो सके, यह जो संविधान में विसंगतियां हैं, जैसा मैंने कहा प्रविष्टि 76 में राज्य का और संघ का एकाउंट वही आडिट करेगा, यह क्या मजाक है। दुनियां के किसी संघ में क्या ऐसी व्यवस्था है कि केन्द्र सरकार राज्य का एकाउंट भी आडिट करे ? ऐसी व्यवस्था दुनियां के किसी संघ में नहीं है। इस तरह की आप व्यवस्था रखते हो और कहते हो कि देश चलेगा। नहीं चलेगा। इसको आपको हटाना होगा और मैं यह कहना चाहता हूं कि.. **(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Now you are to resume your seat.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, you should take a lenient view. It is a Private Members Resolution. Let him speak.

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर, यह....
I am not repeating.

प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर (बिहार) : एक ही भाषा बोलियेगा।

श्री राम अवधेश सिंह : अच्छा। तो इसमें 90-92 और 92(ब) में जो लिखा हुआ है, शेडयूल्ड सेवेन, में इसके बारे में कहना चाहता हूं कि यह जो कंसाइनमेंट टैक्स है, इसको तत्काल खत्म करना चाहिये। कंसाइनमेंट टैक्स खत्म किये बिना हम लोगों को.. **(व्यवधान)**

श्री जगेश देसाई : है ही नहीं।

श्री राम अवधेश सिंह : है। अरे भाई है। आपको मालूम नहीं। इसमें बिहार को भारी लास है। हमारे यहां "डेल्को" में जो ट्रक बनता है, वह बिकता है मुम्बई में और वहां सारा सेल्स टैक्स महाराष्ट्र सरकार को जाता है और हमारे यहां का स्टील जो बिकता है उत्तर प्रदेश में, तो सब सेल्स टैक्स वहां की सरकार को जाता है। इसलिये मुझे मालूम है कि कंसाइनमेंट टैक्स ही.. **(व्यवधान)**...

श्री जगेश देसाई : कौन से स्टेट में है यह बताइये ?

श्री राम अवधेश सिंह : आपके प्रदेश में है।

श्री जगेश देसाई : नहीं है हमारे प्रदेश में।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let him make his points.

श्री राम अवधेश सिंह : कंसाइनमेंट टैक्स – जैसे हमारे यहां का रा मैटीरियल आपके यहां आता है और आप बेचते हैं तो सेल्स टैक्स हमको थोड़े ही देते हैं, यही कंसाइनमेंट हुआ। तो हमारे यहां का माल आपके यहां पहुंचेगा, आप सेल्स टैक्स लेकर उसे हड़प लो, वह हमको न दो। तो इसलिये कंसाइनमेंट टैक्स को तत्काल हटाया जाय। एक्साइज डयूटी से हमको कितना नुकसान है ? एक्साइज डयूटी अगर मिलने लग जाय सारे कच्चे माल पर बिहार को तो कम से कम 7,8 हजार करोड़ रुपये सालाना इसमें बढ़ जायेगा व हमको कर्ज लेना ही नहीं पड़ेगा। आज भारत सरकार का बिहार पर साढ़े पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज है। इसलिये एक्साइज डयूटी जो कच्चे माल पर मिलनी चाहिये, वह उस राज्य को मिलनी चाहिये जहां कि वह पैदा होता है, पक्के माल की बात अलग है। जैसे यह कपड़ा बन गया, चश्मा बन गया, तो चश्मे में हम लगा सकते हैं, कलम लिखने का काम करती है, इसपर टैक्स लो। लेकिन कच्चा माल, जैसे स्टील बना, स्टील से तो लाखों सामान बनते हैं – सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनता है, इस लिये कच्चे माल पर टैक्स

उत्पादक राज्य को मिले, सारे देश में यह सिस्टम लागू हो और पक्के माल पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी ले, इस पर हमें कोई एतराज नहीं है ।

इसलिये मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से, यहां भारत सरकार के गृह मंत्री बैठे हुये हैं, ये गंभीर आदमी हैं, विभाग भी संभाले हुये हैं, कहना चाहता हूं कि कच्चे माल पर तो एक्साइज ड्यूटी राज्यों को मिलनी चाहिये, अगर यह नहीं मिलेगी तो वह तो कंगाल हो जायेंगे जैसे बिहार हो गया है। हमारे यहां 55 लाख टन स्टील पैदा होता है । अगर हमको तांबा, अभ्रक, मैग्नीज, बाक्साइड, इन सब पर सारा एक्साइज ड्यूटी मिलता तो 8 हजार करोड़ रुपये सालाना हमारी आय बढ़ जाती । बिहार का टोटल बजट साढे पांच हजार करोड़ रुपये का आज के दिन है । तो हम तो आज के बजट से ढाई गुना केवल एक्साइज ड्यूटी से प्राप्त कर सकते हैं । रायल्टी अगर हमको सौ फीसदी मिल जाय तो सारे खनिजों पर तो हमारी 5 हजार करोड़ रुपये आय बढ़ जायेगी । इस हिसाब से आज के बिहार के बजट से साढ़े तीन गुना बजट हमारा जो जायगा, हमें किसी के पास हाथ पसारना नहीं पड़ेगा और सारे भारत में, महाराष्ट्र से भी बड़ा बजट हमारा हो जायेगा। लेकिन हमारी हिस्सामारी होती है, हमारी लूट होती है । इसलिए मैं चाहता हूं कि, मान्यवर, कि यह जो सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है, उसके कुछ अंश को लागू किया जाय और आगे के लिये, क्योंकि यह सफिशिएंट नहीं है, इनएडिक्वेट रिपोर्ट है, क्योंकि इसका सम एंड सब- स्टांस यह है कि Our Centre should be stronger.

तो वह स्ट्रांग रहे, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन इसका जो बघनखा है, जो बघनखा मारकर जहां मांस, खून है वहीं से निकाल लेता है और हड्डी छोड़ देता है, इसका यह बघनखा खत्म होना चाहिये । अगर इस पर केन्द्र ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो संसद में जो आज यह बहस हो रही है, यह बहस सड़क पर जायेगी । सड़क पर यह आवाज तेजी से उठ रही है और जब यह आवाज सड़क पर तेज हो जायेगी तो फिर इस संसद के नियंत्रण के बाहर हो जायेगी ।

4 P.M.

और इसलिये मैं चाहता हूं कि समय रहते सैकिया साहब के प्रस्ताव की मंशा के अनुकल यह सरकार आगे बढ़े और राजनीतिक स्वायत्तता देने के साथ-साथ जो आर्थिक स्रोत हैं उनकी विकसित करने की स्वायत्ता भी दी जाय और उनको अपने पांव पर खड़ा होने का मौका दिया जाय, नहीं तो बहुत व्यापक विस्फोट होने की संभावना है । धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलूवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, स्वायत्तता प्रदान करने के डाने नगेन सैकिया के इस प्रस्ताव पर बहस करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । यह मुद्दा उस वक्त भी उठा था एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर, जब रात के अंधेरे पर यूनियन जैक का झंडा उतर रहा था और तिरंगा झंडा फहराया जा रहा था । जब पराधीन भारत से लेकर स्वाधीन भारत की उदघोषणा होने वाली थी उस वक्त भी वह मुद्दा उठा था । पर हमारे संविधान बनाने वाले या हमारे पूर्व पुरूष या उन स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले अपने आपको बंगाली नहीं कहा, अपने आपको पंजाबी नहीं कहा, अपने आपको मराठी नहीं कहा, अपने आपको बिहारी नहीं कहा, अपने आपको तमिल या कन्नेरीज या असमिया नहीं कहा, उन्होंने फांसी के फंदे की चूमने से पहले अपने आपको एक गर्वित भारतीय कहकर इस देश की आजादी की लड़ाई का हौंसला बुलन्द किया था। उन लोगों ने इस प्रश्न चिन्ह को उसी वक्त खत्म कर दिया था और उसी वक्त खत्म

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

करके हमारे हाथों में एक ऐसा सुनहरा संविधान दिया था जिस संविधान के माध्यम से आज हम अपने देश में एक स्वाधीन भारत के रूप में राज कर रहे हैं । यह जो हमारी बोलने की क्षमता है, यह जो हम बेझिझक अपने दिल की बात 85 करोड़ जनता की संसद में खड़े होकर बोल लेते हैं, यह अधिकार मैंने अपने पिता जी से प्राप्त नहीं किया है, मैंने अपने भाई-बहन से प्राप्त नहीं किया है, मैंने किसी धन या संपत्ति के माध्यम से प्राप्त नहीं किया है, पर मैंने उन भारतीय जवानों, उन भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों की लड़ाई के बाद प्राप्त किया है और मैं भी गर्वित होकर कहता हूं कि मैं आज भारतीय हूं । जब स्वायत्तता की बात अगर डवलपमेंट तक सीमित हो तो बात कुछ और होती है । उपसभाध्यक्ष महोदय, बातें कुछ और हैं । बात यहां यह नहीं है कि हम क्यों नहीं फल फूल रहे और दूसरा क्यों फल-फूल रहा है । बात यहां यह है कि कि हमें ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिये । अगर यह डवलपमेंट की लड़ाई होती, अगर यह वाकई स्वायत्ता की बात होती, वाकई इस देश की जनता को स्वायत्तता देने की बात होती तो मेरे ख्याल में जब 1989 में इसी सदन में एक इतिहास लिखा जा रहा था और शायद वह सुनहरा इतिहास होता, शायद गर्व से हर भारतीय कह सकता कि हिन्दुस्तान के लोगों ने अच्छे लोगों को संसद में चुनकर भेजा है, जिन्होंने एक सुनहरे इतिहास की नयी पहल शुरू की है । स्वायत्तता देने की बात थी, पर कहां से? ऊपर से नहीं नीचे से । इसी सदन में एक ऐतिहासिक फैसला होना था और ऐतिहासिक फैसला हुआ जरूर, पर सुनहरे अक्षरों में नहीं लिखा गया, काले अक्षरों में लिखा गया । वह काले अक्षरों में जो इतिहास लिखा गया कि स्वायत्तता देने की बात हुई थी कि हम अपने देश की जनता को पंचायत से ही ऊपर उठायेंगे । दिल्ली से जो पैसा जाता है वह राज्य स्तर पर नहीं पहुंचेगा, वह पंचायत को पहुंचेगा, ग्राम स्तर तक पहुंचेगा । विज्ञान भवन या एयरकंडीशंन भवनों में उनकी प्लानिंग का फैसला यहां बैठकर आई०ए०एस० आफिसर्स या पोलिटिशियंस नहीं लेंगे । पर ग्राम में उनको क्या चाहिये ? उन्हें गाय-भैंस को दिखाने वाला एक डाक्टर चाहिये या अपने बच्चों को इंजेक्शन लगाने वाला कम्पाउन्डर चाहिये, या पढ़ाने के लिये स्कूल चाहिये, या वहां की उन्नति के लिये आई०टी०आई० चाहिये या पोलिटैक्नीक चाहिये, अस्पताल चाहिये या मेंटल हास्पिटल चाहिये, यह उन पर छोड़ा गया था । पर हम लोगों ने सारे अधिकार छीन लिये । लड़ाई इस बात की नहीं थी कि ये अधिकार उनको क्यों दे रहे हैं, फर्क इतना था कि यह स्वायत्ता जो घर घर में पहुंचाई जा रही है, ये जो अधिकार हैं वे ग्राम पंचायतों में पहुंचाये जा रहे हैं, वह इतिहास लिखने वाला लिखारू राजीव गांधी क्यों हो । उसका लिखारू वह क्यों हो । पर उसकी कल्पना तो राजीव गांधी की थी । वह सपने राजीव गांधी के थे जो उन्होंने संजोये थे, जो पूरे नहीं हो सके और आज हमारा दुर्भाग्य है कि हम आज भी उसी लड़ाई में पड़े हुये हैं । और उसमें जब हम इस स्वायत्ता की मांग करते हैं तो यह मांग नहीं करते कि हम अपने देश की गरीब जनता को किस तरह से अधिकार दें । कैसे उनके इलाके में उत्पादन बढ़ा सकें, कैसे उनके इलाके में खुशहाली ला सकें । हम तो लड़ रहे हैं कि कौन लूट सकता है, कौन आग लगा सकता है, इसमें हम लगे हुये हैं ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, बड़े अफसोस की बात है कि हम लोग इतना कुछ होते हुये भी कई बार चूक जाते हैं । हमें समझ नहीं आता है कि जब आज देश की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, कभी लड़ाई होती है मेजारटी की, कभी लड़ाई होती है बहुसंख्यक की, कभी लड़ाई होती अल्पसंख्यक की पर मैं समझता हूं कि इस मुल्क में अल्पसंख्यक

अगर कोई कम संख्या में है तो वह भारतीय है । हमारे मुल्क में भारतीय नहीं रहा । जो भारतीय थे, जो दीपक थे, दीपक जलाकर जिन्होंने ज्वाला जलाई थी, जिन्होंने देश की स्वाधीनता के लिये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था आज वह दीपक बुझ रहे हैं। हम भारतीय नहीं रहे । कोई हिन्दू हो गया, है कोई मुसलमान हो गया है, कोई सिख हो गया है, कोई ईसाई हो गया है और उसके बाद कोई मराठी हो गया है, कोई बंगाली हो गया है, कोई बिहारी हो गया है, कोई यू०पी० वाला हो गया है, कोई पंजाबी हो गया है, कोई तमिल हो गया है, कोई असमी हो गया है, कोई नागा हो गया और आज हम उसके भी आगे चले गये । कोई ब्राहमण हो गया है, कोई ठाकुर हो गया है, कोई यादव हो गया है, कोई हरिजन हो गया है । हम क्यों ऐसे पनप रहे हैं । ऐसे भारत के पनपने की कल्पना कभी भी स्वतंत्रता सेनानियों ने नहीं की थी ।

महोदय, उधम सिंह से किसी ने उसका नाम पूछा था । उसने कहा था कि मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह । अफसोस की बात है कि उस राम मोहम्मद सिंह को हम आज भूल गये । स्वायत्ता की बात हम लोग करते हैं। अगर हम इस देश की जनता को कुछ देना चाहते हैं इसके लिये कुछ करें तो ठीक है । लेकिन हम इसलिये स्वायत्तता की मांग नहीं कर रहे हैं, जैसे राम अवधेश सिंह जी अभी भाषण दे रहे थे, मैं भी बिहार से आता हूं, मैं उनके फ्रेट इक्वलाइजेशन के बारे में, रायल्टी के बारे में पूरी तरह से सहमत हूं। हर बिहार वासी को अधिकार है, मैं यह मानता हूं कि यह ठीक है । लेकिन यह अधिकारों की लड़ाई नहीं है, लड़ाई यह है कि हमारे बिहार का बजट महाराष्ट्र के बजट से ऊपर होगा । कल महाराष्ट्र कहेगा कि हमारा बजट गुजरात से बड़ा होगा । हमारी लड़ाई चारों तरफ जायेगी । हम अपनी लड़ाई को लड़ना शुरू कर देंगे तो.... (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : आप पंजाब की बात कहो । मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी आय बड़े, हमारी गरीबी सबसे ज्यादा है.. (**व्यवधान**)..

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप बैठिये । मैंने तो आपकी तारीफ की है । मैंने आपकी बात ठीक समझी है।.... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में नामी ग्रंथ माने जाते हैं रामायण और महाभारत और महाभारत के बारे में लिखा जाता है, महान भारत का युद्ध और उसका युद्ध कुरूक्षेत्र में हुआ था । महाभारत उस वक्त एक महान भारत था। और उस महान भारत का सबसे बड़ा परिवार जो था वह कौरव और पांडव का था । अगर दुर्योधन नहीं पैदा होता इस परिवार में या दुर्धोधन ने अपने बाप से कहीं इस तरह के राज्यों की मांग न की होती तो शायद कुरूक्षेत्र का युद्ध न होता, शायद वह महाभारत टुकड़े-टुकड़े न होता, शायद पांडवों के साथ इस तरह न हुआ होता, शायद द्रोपदी का वस्त्रहरण न होता और मैं आगे जाता हूं, शायद आज हम भी एकदूसरे से लड़ रहे न होते । एक दुर्योधन ने और एक केकई ने जिस ग्रंथ की, जिस रचना की सृष्टि की वह रचना युग-युगांतर के लिये इस महाभारत के लिये कलंक का टीका बनकर रह गई । युग-युगांतर तक हम आपस में लड़ने की प्रेरणा इन्हीं ग्रंथों से पाते रहेंगे । महाभारत के कुरूक्षेत्र के युद्ध के बाद भी जब उस परिवार के टुकड़े-टुकड़े हो गये तो धृतराष्ट्र का नाम कहीं पढ़ा है ? किसी ने पढ़ा है ? किसी ग्रंथ में कलंकित है? नहीं । भगवान राम और रावण के युद्ध का कारण जो केकई थी अगर केकई भगवान राम को वनवास न भिजवाती तो युद्ध न होता । राजा दशरथ के बारे में किसी ने पढ़ा है ? नहीं पढ़ा । ये दो परिवार हिन्दुस्तान के बड़े परिवार थे जिनके टकड़े हो गये सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिये, स्वायत्ता हासिल करने के लिये लड़ाई लड़ी । आज हमारा भारत एक परिवार की तरह है और यह परिवार

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

उस तरह का है जिसके दो बेटे हैं। एक बेटा कमजोर है और दूसरा मजबूत है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मजबूत बेटा मां को कहे, बाप को कहे कि कमजोर को खाना कम देना क्योंकि वह कमाकर नहीं ला सकता। या उसका खाना बन्द कर दो क्योंकि मैं कमाकर लाता हूं। मेरे लिये भरपूर भोजन तैयार होना चाहिये। मैं अलग कमरे में बैठकर खाऊंगा। पहले तो सारा पैसा बेटा कमाकर अपनी मां की झोली में लाकर डालाता है और उससे मां बच्चों की देखभाल करती है और उसी के हिसाब से सब बंदोबस्त करती है। और जिस दिन से बेटा मां की झोली में पैसा कमा कर डालना बन्द कर देता है उस दिन से वह परिवार टूटने लगता है, जिस दिन बेटा यह मांग करने लगता है कि मैं तो बहू को लेकर अलग होने वाला हूं, मैंने तो अलग फ्लैट ले लिया है मैं वहां जाने वाला हूं क्योंकि मुझे स्वाधीनता चाहिये। मैं बड़ा हो गया हूं, मेरे बच्चे बड़े हो गये हैं। मैं स्वाधीन नागरिक के रूप में रहना चाहता हूं। मैं बाप की डांट नहीं सुनना चाहता। मां मैं तुम्हारी ठंडी छांव में नहीं रह सकता।

श्री राम अवधेश सिंह : स्वायत्तता का क्या यही अर्थ है ?

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : तम्हारे भाषण में क्या है वह तुम समझो और डा० सैकिया ने जो प्रस्ताव रखा है उसको समझने की कोशिश करो।

श्री राम अवधेश सिंह : मैंने जो कहा है...

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : मैं आपके भाषण पर नहीं बोल रहा हूं। रेजोलूशन डा० सैकिया का है मैं उस पर बोल रहा हूं। आप चुप रहिये। जब आप बोल रहे थे मैंने आपको टोका नहीं था। (**व्यवधान**) यह भारत, सोने का भारत जिसकी कल्पना हरेक असली भारतीय के दिल की है, यहां लड़ाई लड़ रहे हैं...

श्री राम अवधेश सिंह : जिसे कांग्रेस ने इन 40 सालों में मिट्टी बना दिया (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : इस भारत के बारे में सोचिए। हम राजनीति करने वाले जो लोग हैं उसमें से कितने परसेंट है? इस पूरे मुल्क में 850 एम.पी. हैं और 4000 के लगभग एम.एल.ए. हैं। और 86 करोड़ में से कम से कम 46 करोड़ वोटर्स हैं और 46 करोड़ वोटर्स में से सिर्फ 26 करोड़ या 24 करोड़ वोट देते हैं और 24 करोड़ वोटर्स में से 12–13 करोड़ के वोट जिसको मिलते हैं वही राज करता है। जिन 12–13 वोटरों के वोट मिलते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि वे हमारे साथ सीधे जुड़ हुए हैं। इसका मतलब यह है कि वे सरकार चाहते हैं और इसलिए वोट देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत का वह नागरिक जो किसी राजनितिज्ञ से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वह भारतीय नागरिक जो रात दिन कड़ी मेहनत करके किसी पोलिटिशयन के चक्कर में नहीं होता है, जो किसी अफसर के चक्कर में नहीं होता है, जो अपने खून पसीने की कमाई करके अपना जीवन व्यतीत, करता है और ठंडी छांव में सो जाता है उस भारतीय से पूछो कि वह कैसे भारत का सपना देखता है। हम जो आपस में लड़ रहे हैं, वह जब हमें लड़ते हुए देखता है तो उसके आंखों के सामने क्या आता होगा, इस पर विचार करने की जरूरत है। उसकी आंखों के सामने वही आता होगा जैसे अभी श्री राम अवधेश सिंह कह रहे थे कि डी.एम. एक खूंखार जानवर है, उस भारतीय नागरिक को भी हम वही दीखते हैं। उस भारतीय को ढूंढ निकलने की जरूरत है और यह देश अगर हम यह सोचें कि हम चला रहे हैं या आप चला रहे हैं तो हम लोग विभ्रांत हैं। यह भारत चल रहा है वैसे भारतीय से जो मेहनतकश है, जिसके दिमाग में फीतूर नहीं है, जनून नहीं है, जो भारतीय गर्व से अपने आपको भारतीय कहता है, जो भारतीय अपने आप को हिन्दू

नहीं कहता है, गर्व से सिख नहीं कहता है, गर्व से मुसलमान नहीं कहता है। वह गर्व से अपने आपको भारतीय कहता है। वैसा भारतीय ही भारत को चला रहा है। आज हमारे देश की अवस्था कगार पर खड़ी है। दिन प्रतिदिन देश की जनसंख्या बढ़ रही है और साथ ही पड़ौसी देशों के साथ जो हमारे तनावपूर्ण रिश्ते हैं उसके कारण हमें अपने पूरे बजट का करीब 35-40 प्रतिशत पैसा अपने देश की सुरक्षा पर व्यय करना पड़ता है। इसके साथ ही बेकारी की समस्या हमारे सामने है। हर एक राज्य स्वायत्ता की मांग कर रहा है। लेकिन जरा ख्याल कीजिए, बंगाल में बहुत सारे कारखाने खुले थे, लेकिन आज वे बंद क्यों हैं? आज बहुत सारे राज्यों में इंडस्ट्रियलिस्ट्स क्यों कारखाने नहीं लगाना चाहते हैं? आज आप हजार कोशिश कर लें, आप बाहर से इंडस्ट्रियल पालिसी कितनी भी चेंज कर लें, घूम-फिर कर उन्हें हम से ही काम लेना है। अगर हमारा मस्तिष्क ठीक नहीं है, हमारी मनोवृत्ति ठीक नहीं है तो देश की प्रगति कैसे हो सकती है? जब तक देश की प्रगति नहीं होगी तो राज्यों और गांवों की प्रगति के बारे में हम कैसे सोच सकते हैं। मैं समझता हूं कि ऐसी स्वायत्ता की मांग करने से पहले भारत मां आज पूछ रही है कि बेटा, तुझे मेरे दूध की लाज रखनी है या नहीं रखनी है। हम तो आज अपनी मां से कीमत मांग रहे हैं कि तू आंचल पहनती है या नहीं पहनती है, लेकिन मेरे को कपड़ा दे। तुझे कपड़ा मिलता है या नहीं मिलता है, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे कपड़ा दे। आज के बच्चे ऐसे हो गये हैं। मां बेटे को नौ महीने पेट में रखती है, उसका क्या अधिकार है? यह अधिकार मांगती है तो हम उसे क्या देते हैं। इन चीजों पर सोचने की जरूरत है। यह भावुकता का सवाल है और कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक और कच्छ से लेकर कोहिमा तक जुड़ा हुआ है। इसी भारत में जब कन्याकुमारी के किनारे सूरज दीखता है तो हिन्दु भाई सूरज को प्रणाम करने के लिए जल चढ़ाते हैं और इसी भारत में जब पश्चिम में सूरज डूबता है तो हमारे मुसलमान भाई नमाज पढ़ते दीखते हैं। वहीं पर मंदिरों में झंकार होती है तो वहीं पर जो बोले सो निहाल सत श्रीअकाल के नारे लगते हैं। वहीं पर अल्लाह-हो-अकबर का नारा है, वहीं पर लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध धर्म का भी पालन कर रहे हैं। ऐसे भारत को तोड़ने की जो साजिश हो रही है उसमें यह भी एक साजिश है और मैं समझता हूं कि इस सदन को इस प्रस्ताव को धिक्कारपूर्वक रद्द कर देना चाहिए। धन्यवाद।

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): Sir, the Resolution moved by Dr. Saikia has two parts. The operative part suggests that there should be a rethinking over the entire process that followed the Sarkaria Commission Report. I think, this part needs attention from this House. Sir, in connection with this, I want to make my views can did before this House, and I will not take much time.

Sir, at present India is groaning under the impact of an increasingly authoritarian and highly centralised rule which is in opposition to the basic spirit of democracy.

Sir, the Sarkaria Commission had noted in their report in 1988 that there were 75 cases of President's Rule imposed on the States during the period from 1951 to 1987, covering a total of 33 years, 9 months, and 10 days, and it is continuing even today. We have just concluded the debate on the President's Rule in Meghalaya. The Commission's warning that unreasonable concentration of power at the Centre causes blood-pressure at the Centre and anaemia at the periphery, i.e., the States and the Union Territories, has gone unheeded.

The so-called New Economic Policy and the New Industrial Policy—against which the entire country today struck work; the working class today came out of the establishments—the surrender to the IMF and the World Bank, the Damocle's Sword hanging on India in the shape of Super, Special 301s only show how evil

[Shri Sunil Basu Ray]

could be the consequence of such concentration of power at the Centre. The States and the Union Territories are almost devoid of power. Much has been recommended in the Sarkaria Commission Report, but no one knows how many of the recommendations have been accepted or implemented by the Government. A White Paper on the acceptance and implementation of this Report should come from the Government.

Sir, our Constitution itself is both unitary and federal. But federalism is nothing but a thin layer of veneer which cracks under the least pressure. States' authorities are also at present subject to the whims of the Centre which considers itself to be omnipotent. The ruling party thinks they can remain in power through authoritarian system of Government at the Centre. The present political scenario is just the opposite. We must face the reality. As the Sarkaria Commission have admitted, India has a population consisting of people belonging to various stages of development, of different language, ethnic, cultural groups, with very limited scope of growth. They shall have to grow in diversity, at the same time forming a unity. The entire process must be voluntary. But, under the crushing impact of the economic-political rule of the Centre, dominated by the landlords, capitalists and tycoons, the country is suffering, specially under the present policies.

Sir, one cannot ignore the fact that the country and its people are facing a serious crisis, being aggravated by the present system. The imperialists of the developed capitalist countries, G-7, are trying to impose neo-colonialism on us. To facilitate that, they are trying to break-up the country, turn the people into hostile groups. They are trying to bring down whatever economic sovereignty, self- reliance we have achieved. They dare to attempt because we have failed to go through with a thorough land reform which is the only way to improve the purchasing power of the vast majority of our poor people and this can only lead to rapid industrial development.

Instead of carrying out these tasks, the Central Government has acquired highly centralised financial, industrial, agro-economic power. They have acquired highly centralised planning, development process and highly specialised bureaucracy.

The past years have been a period of growth of divisive and secessionist forces, as a result of these policies which must be stopped now.

The West Bengal Left Front as well as the Left Democratic forces are resisting these authoritarian trends. They are developing a new form of stability. The country would get benefit if the Centre allows this process to succeed.

So, I suggest that effective steps should be taken to defend democracy against authoritarian onslaught by Congress(I). It includes defence of democratic rights of all citizens; ESMA, NSA, TADA and similar laws should be scrapped. Centre-State relations, with more powers to the States, should be restructured. Article 356 should be abrogated. The Concurrent List of our Constitution is, in fact, a means of interfering in the realm of States' authority. We demand its total merger in the State List.

The democratic form of Government should be allowed to function smoothly and should be allowed to stay on, to help stabilize the national political system which is, at present, vulnerable. Punjab, Kashmir, Assam problems are to be solved within the framework of unity of India. All minority problems should be settled. You have to reverse the IMF-World Bank dictated policies, and protect land, culture, language of tribal people. And grant regional autonomy for tribal people with continuous compact regions, and restructure the entire policy of economic development on democratic basis.

श्री सत्य प्रकाश मालवीय: उपसभाध्यक्ष महोदय, श्री नगेन सैकिया का जो संकल्प है इसमें इन्होंने दो बातों पर जोर दिया है । एक तो यह है कि राज्यों को अधिक स्वायतत्ता प्रदान करने के लिये एक आयोग का गठन किया जाए । किस प्रकार का आयोग हो, इसका उन्होंने सुझाव दिया है ।

दूसरी बात यह कही है कि इस संबंध में सर्वसम्मति पैदा करने के लिये इस आयोग का गठन किया जाये। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें भारत को गणराज्य घोषित किया गया लेकिन एक संघ की कल्पना की गई और राज्यों की कल्पना की गई । इसीलिये संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें इस बात को कहा गया है--

"संघ का नाम और राज्य क्षेत्र-भारत अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा" आगे चल कर के संविधान के अनुच्छेद 152 में राज्यों की परिभाषा की गई है और उस परिभाषा में इन्होंने चर्चा की है भाग 6 के अध्याय-1 में-

"152-परिभाषा-इस भाग में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, "राज्य" पद 1 (के अन्तर्गत जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं है) ।"

मैं आज सुबह जब संविधान को देख रहा था तो संविधान के इस अनुच्छेद से मैं अनभिज्ञ था और मेरी समझ से इस बात की व्यवस्था संविधान में करना ही गलती हुई जिसके कारण आज जम्मू कश्मीर की समस्या एक विस्फोटक समस्या हो गई है। लेकिन इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। इसमें इस बात की व्यवस्था की गई कि केन्द्र को शक्तिशाली रहना चाहिये। लेकिन जो राज्य का अपना अधिकार क्षेत्र है उनके अधिकार क्षेत्रों में राज्यों की स्वायत्ता को स्वीकार करना चाहिये और केन्द्र के क्षेत्र में न राज्य अतिक्रमण करें न राज्य के क्षेत्र में केन्द्र अतिक्रमण करे क्योंकि यदि केन्द्र कमजोर होगा तो राज्य भी कमजोर होगा और अगर कोई राज्य कमजोर होता है तो केन्द्र भी कमजोर होगा । इस प्रकार से दोनों एक दूसरे के पूरक है। जिस प्रकार की समस्यायें इस देश में रोज उत्पन्न होती रहती हैं उसमें कभी कभी केन्द्र और राज्यों के बीच में भी विवाद उत्पन्न होते हैं । कभी कभी एक राज्य का दूसरे राज्य से विवाद उत्पन्न हो जाता है जैसे कि अभी हाल में गंगा-कावेरी के जल विवाद को लेकर सारी स्थिति हम लोगों के सामने आई। आशा है कि यह स्थिति संभल जायेगी। फिर भी बार-बार इस बात की आवाज उठती रही तो पहली बार 1966 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन का गठन हुआ और उन्होंने इस सिलसिले में कुछ सुझाव दिए, अपनी संस्तुतियां दीं । उसके बाद डी०एम०के० की सरकार आई 1971 में जिन्होंने अपने संस्तुति दी इसी सिलसिले में और वह उनकी कमेटी थी राजा मन्नार कमेटी । राजा मन्नार कमेटी ने काफी विचार विमर्श के बाद जो संस्तुति दी संविधान के संबंध में उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि-

> 'Though the Constitution set up a federal system, it must be admitted that there are serveral provisions which are inconsistent with the principles of federalism. There are unitary trends and in the devolution of powers there is a strong bias in tilting the scales in favour of the Centre.'

उसके बाद 1977 में वेस्ट बंगाल की जो सरकार थी उसने भी राज्य और केन्द्र के संबंध में अपनी संस्तुतियां दीं और एक विशेष बात की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया जिसमें इस बात का उन्होंने उल्लेख किया और यह संवैधानिक मंशा भी है कि-

> 'A strong and unified India can only be one in which the democratic aspirations and distinctiveness of the people of different States are accepted and not treated with disdain.'

उसके बाद होते-होते नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के समक्ष भी इस विषय पर समय-समय पर विचार होता रहा जिसकी चर्चा अभी हमारे पूर्ववक्ता ने की । 1983 में सरकारिया कमीशन का गठन हुआ और सरकारिया कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 3-4 साल काम करने

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

के बाद जब दी तो उसमें उन्होंने करीब करीब 247 संस्तुतियां दीं। यह भी सुझाव दिया कि 12 नये संविधान में संशोधन करने चाहिये और 20 नये विधेयक पास करने चाहियें। सरकारिया कमीशन की संस्तुतियों पर इस सभा और लोक सभा में भी विस्तार से चर्चा हो चुकी है शायद ढाई या तीन वर्ष पूर्व, लेकिन सरकारिया कमीशन की कौन कौन सी संस्तुतियां लागू हुई, जहां तक मैंने जानकारी करने का प्रयास किया, किसी भी संस्तुति को आज तक लागू नहीं किया गया है। उन्होंने संविधान का जो अनुच्छेद 263 है इसकी ओर भी ध्यान आकर्षित करते हुये कहा था, इसका उल्लेख संविधान में भी है, कि स्थायी अन्तर्राज्यीय परिषद को स्थापित करना चाहिये। मैं जरूर यह कहना चाहता हूं कि यह उनका बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है, संस्तुति है और इसके संबंध में सरकार को विचार करना चाहिये क्योंकि रोज जो इस प्रकार के विवाद पैदा होते हैं आपस में केन्द्र और राज्य का या राज्यों का एक दूसरे के बीच में, अगर इस प्रकार का कोई फोरम गठित हो जाए, उसमें विचार विमर्श हो तो हमको सुविधा होगी इन सारे मामलों को हल करने में और समस्याओं का समाधान करने में। आज हमारे देश में पंजाब की समस्या है, जम्मू कश्मीर की समस्या है, आसाम की समस्या है, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं उनके लोग अपनी समस्याओं के सिलसिले में चिंतित रहते हैं और बराबर मांग उठती रहती है। प्रदेशों में, जैसे बिहार में झारखंड सूबे की मांग हो रही है, उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ब्रजभूमि की मांग कर रहे हैं, कहते हैं उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा, राजस्थान और मध्य प्रदेश का कुछ-कुछ हिस्सा मिला कर ब्रज भूमि गठित की जाये। जो हमारे यहां पहाड़ी इलाके हैं, आठ पहाड़ी जनपद हैं, वहां से मांग हो रही है कि उत्तराखंड जिला स्थापित किय जाए। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में भी इस बात को रखा था। इसकी चर्चा मैं इसलिये कर रहा हूं कि हम लोगों को बैठ कर सोचना चाहिये कि इस प्रकार की मांगें विभिन्न राज्य क्यों उठाते हैं और क्यों असंतोष का वातावरण हो रहा है।

पंजाब में चार पांच साल हो गये, वहां पर विधिवत सरकार नहीं है, जनता के द्वारा चुने हुये वहां पर नुमाइंदे नहीं हैं। चुनाव होने जा रहे थे, उसको टाल दिया गया। आज गृह राज्य मंत्री जी पंजाब गये हैं वहां की स्थिति का आंकलन करने के लिये और गृह मंत्री जी इस समय सदन में उपस्थित हैं। एक दो दिन पहले इन्होंने घोषणा की थी कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि यदि वहां पर स्थिति ठीक रही, तो 15 फरवरी के पहले-पहले पंजाब की विधान सभा और लोक सभा में वहां से जो रिक्त स्थान पड़े हुये हैं, उन का हम चुनाव करायेंगे।

तो मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन पर पूरा विश्वास करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर चाहे जितनी भी दिक्कत आये, सरकार को एक ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे कि पंजाब में चुनाव हों, पंजाब के जन-प्रतिनिधि निर्वाचित हों और जनता द्वारा चुनी हुई सही मायने में वहां पर सरकार स्थापित हो।

इसी प्रकार से असम में जो समस्या है, उसी सिलसिले में असम के मुख्य मंत्री जी ने बार-बार सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया है, हितेश्वर सेकिया जी ने कि वहां पर हमारे जो पड़ौसी देश हैं, उनका नाम भी उन्होंने लिया हैं, पाकिस्तान, बंगला देश और चीन—तीनों का नाम भी उन्होंने लिया है कि इन देशों के लोग वहां के आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं या आतंकवादियों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। मुख्य मंत्री ने यह बहुत जिम्मेदाराना वक्तव्य दिया है। इस प्रकार से उन्होंने सारे देश को बतलाया है कि हमारे जो पड़ौसी देश हैं, वह इस संबंध में हमारे यहां

जो आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं।

मैं जरूर चाहूंगा कि इस संबंध में सरकार की ओर से स्पष्ट रूप से वक्तव्य आना चाहिये, क्योंकि हमारा सारा राष्ट्र और देश एक रहना चाहिये, आपस में चाहे जितने भी मतभेद हों, लेकिन देश की अखंडता अक्षुण्ण रहे और हमारी राष्ट्रीय एकता शक्तिशाली और अक्षुण्ण रहे, इसके संबंध में तनिक भी विवाद नहीं होना चाहिये।

जब संविधान में राज्यों और केन्द्र के संबंधों के संबंध में चर्चा हो रही थी, तो मैं डा० बी०आर० अम्बेदकर जी, जिन्होंने उसकी प्रस्तावना रखी थी और राज्यों और केन्द्र के संबंध में जो उनका विचार था, उसको मैं सदन के सामने रखना चाहूंगा। उनके वह विचार आज भी उतने ही सामयिक हैं। उन्होंने कहा था—

> "It establishes a dual polity with the Union at the Centre and the States at the periphery, each endowed with sovereign powers to be exercised in the field assigned to them respectively by the Constitution. The Union is not a League of States, united in a loose relationship, nor are the States, the agencies of the Union, deriving powtrs from it. Both the Union and the States are created by the Constitution; both derive their respective authority from the Constitution. The one is not subordinated to the other in its own field; the authority of one is coordinated with that of the other".

और यह बिल्कुल उचित है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।

मैं अपने विद्वान मित्र सदस्य, डा० रत्नाकर पांडेय जी की बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने एक बात बहुत ही सत्य बात की ओर ध्यान आकर्षित किया कि जब तक इस देश में केन्द्र और राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार थी, तो कोई बहुत ज्यादा विवाद आपस में नहीं उठते थे। लेकिन 1967 में जब यह प्रक्रिया शुरू हुई कि केन्द्र में एक पार्टी की सरकार हुई, किसी राज्य में दूसरी पार्टी की सरकार हुई, या कहीं पर राज्य में एक पार्टी की सरकार हो गई, केन्द्र में दूसरी पार्टी की सरकार हो गई, विभिन्न राजनीतिक दल हो गये, तो आपस में जो टकराव की स्थिति शुरू हुई, तो उससे देश के लिये एक गंभीर समस्या और गंभीर चुनौती खड़ी हो गई। वर्तमान सरकार और वर्तमान में जो विपक्ष दोनों का बार बार यह कहना कि हम लोग जो राष्ट्रीय समस्यायें हैं, जो देश की समस्यायें हैं, उनको टकराहट से नहीं, बल्कि सोहार्द-पूर्ण, सहयोग के वातावरण में समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि केन्द्र और राज्यों के संबंधों को लेकर के जितनी भी आज तक समितियां नियुक्त की गई हैं और न केवल जो सरकारिया कमीशन नियुक्त किया गया था तो इनकी जो अच्छी-अच्छी संस्तुतियां हैं, जिन पर कि आम सहमति हो सकती है, जिन पर सहमति नहीं उनको अभी आप छोड़ दीजिए, लेकिन देश हित में, राष्ट्रहित में, केन्द्र हित में और राज्यों के हित में जिन संस्तुतियों पर आम सहमति हो सकती है, सर्वानुमति हो सकती है, कम से कम उन संस्तुतियों को तो आप लागू करने का काम करिए। आखिर इंदिरा गांधी जी ने काफी विचार-विमर्श करने के बाद इस आयोग को बैठाया होगा। जस्टिस आर०एस० सरकारिया एक बहुत ही अच्छे न्यायविद थे, विद्वान न्यायविद थे, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके थे और भी इसमें दो सदस्य रखे गए थे। इन लोगों ने अपनी संस्तुतियों को सरकार को दिया। आखिर क्या कारण है कि ये संस्तुतियां लागू नहीं की जा रही हैं? मैं समझता हूं कि अगर इनकी संस्तुतियां लागू कर दी गई होतीं तो शायद डा० सैकिया को इस प्रस्ताव को रखने की

[श्री सत्य प्रकाश मालवीय]

आवश्यकता नहीं होती। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरे राज्यों में विधान परिषद होती हैं, लेजिस्लेटिव कौंसिल्ज, यह उनका अपना अधिकार है। कुछ राज्यों में विधान परिषद हैं, कुछ राज्यों में नहीं हैं। कुछ राज्यों में ऐसा भी है कि वहां विधान परिषदें थीं, विधान सभा ने उनको समाप्त किया और बाद में पुनः चालू किया गया, जैसे तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश हैं। मेरी समझ से इस संबंध में भी ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिसमें कि लेजिस्लेटिव कौंसिल के मामले में एकरूपता होनी चाहिए या तो सारे देश के जो विधान मंडल हैं वहां पर विधान परिषदें हो या विधान परिषद न हो, तो इस संबंध में भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

मैं एक बात की ओर और वह जम्मू-काश्मीर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जम्मू-काश्मीर में जो समस्या है वह मेरी समझ से पंजाब से भी ज्यादा गंभीर है और जम्मू-काश्मीर में भी इस समय जन-प्रतिनिधि नहीं हैं, जनता की ओर से चुनी हुई सरकार नहीं है। वहां चुनाव हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, यह कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि उसके जो तीन हिस्से हैं। एक जम्मू, दूसरे वैली का हिस्सा और तीसरा लद्दाख है। लेकिन जो वैली का हिस्सा है, जहां पर भारत सरकार का उस पर नियंत्रण है भी या नहीं, इसके बारे में मेरे मन में शंका है। क्योंकि जितने भी राजनैतिक लोग वहां जाते हैं, यहां तक कि वहां के भूतपूर्व मुख्य मंत्री फारुक अब्दुल्ला जो राष्ट्रीय नेता हैं, मुख्य मंत्री रहे हैं, उनके पिता जी बहुत ही राष्ट्रवादी नेता थे शेख अब्दुल्ला, लेकिन डा० फारुक अब्दुल्ला जैसे नेता को भी जम्मू से ही लौट करके दिल्ली वापस आना पड़ता है। तो आखिर जम्मू-काश्मीर की जो समस्या है उसका समाधान आप कैसे करेंगे ? जम्मू-काश्मीर इस देश का एक राज्य है और जैसा कि मैंने शुरू में निवेदन किया कि पहली गलती तो हुई कि जहां पर राज्यों की परिभाषा की गई। उसमें भी लिख दिया गया कि राज्यों की परिभाषा में जब तक अन्य विवरण न दिया जाए, जम्मू,काश्मीर ऐसा नहीं है, एक गलती तो यह हुई। दूसरी, गृह मंत्रालय के पास जम्मू-काश्मीर को छोड़ करके सारे राज्यों का काम था। सरदार पटेल इस देश के गृह मंत्री थे। लेकिन जहां तक जम्मू-काश्मीर का संबंध था वह इस देश के तत्कालीन प्रधान मंत्री इसको देखते थे। मेरे एक मित्र बता रहे थे अभी करीब 15 दिन पहले, वह बुलंदशहर के डाक्टर हैं। बचपन में जब वह श्रीनगर गए तो वहां बाजार में उनसे पूछा गया कि क्या आप इंडिया से आए हैं। यह जम्मू-काश्मीर के लोगों ने डाक्टर साहब से पूछा जब वह उस वक्त छात्र थे कि क्या आप इंडिया से आए हैं। इसके कहने का मतलब यह है कि जम्मू-काश्मीर में जो लोग उस समय रहते थे उनके मन में भी शंका थी कि पता नहीं जम्मू-काश्मीर भारत का राज्य है या नहीं और शायद इस शंका का कारण संविधान की यह धारा थी, जिसकी ओर मैंने ध्यान आकर्षित किया और दूसरा कारण शायद यह था कि जवाहर लाल नेहरू जी प्रधान मंत्री होते हुए इसको देखते थे, गृह मंत्री के पास वह काम नहीं दिया गया। लेकिन ऐसी गलतियों को दोहराना नहीं चाहिए। जितने भी हमारे राज्य हैं वे इस देश के अंग हैं। विशेष करके पंजाब में आप चुनाव कराइये, जम्मू-काश्मीर की समस्या का समाधान करिए, असम के संबंध में जिस ओर वहां के मुख्य मंत्री श्री हितेश्वर सैकिया ने ध्यान आकर्षित किया है उसके संबंध में आपको देशवासियों को जानकारी कराना चाहिए, तब देश के लोगों का आपको सहयोग प्राप्त होगा। इन शब्दों के साथ, मैं श्री नगेन सैकिया का जो संकल्प है, इस पर अपने विचार प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामदास अग्रवाल : उपसभाध्यक्ष महोदय, डा० सैकिया जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उसको मैं तीन भागों में देख रहा हूं। पहला भाग है कि देश की एकता, अखंडता व अस्मिता किस प्रकार से अक्षुण्ण रह सकती है दूसरा सवाल है केन्द्र और राज्यों के संबंध कितने मधुर और कितने सौहार्दपूर्ण रह सकते हैं। तीसरा सवाल है

कि उन राज्यों में रहने वाले लोगों का विकास किस तरह से हो सके। ये तीन मुद्दे इस प्रस्ताव से संबंधित हैं।

अभी कुछ विचार माननीय सदस्यों ने यहां रखे। मैं अपने विचार प्रस्तुत करने के साथ यह निवेदन करना चाहता हूं कि देश की एकता सर्वोपरि है। जब हम इन विषयों पर विचार करते हैं कि राज्यों को अधिक अधिकार चाहिए, राज्यों को अधिक स्वायत्ता चाहिए, उन्हें अधिक विकास करने के लिए और अधिकार चाहिएं तब हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हमारा देश मजबूत है, एक है, अखण्ड है। जब इस बात का हम विचार करते हैं तो फिर रोटी का सवाल एक तरफ रहता है, देश की एकता व अखंडता का सवाल खड़ा रहता है हमारे देश का इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे, महापुरुषों ने, वीरों ने रोटी के सवाल को तिलांजलि दे दी थी और देश की एकता को, आजादी को, स्वतंत्रता को प्राथमिकता दी थी, महाराणा प्रताप चाहते तो सिर झुकाकर दिल्ली के दरबार में अकबर के सामने जाते तो शायद अपने घर पर मोहरों के ढेर लगा सकते थे, सोने की दीवारें बना सकते थे। लेकिन उन महापुरुष ने इन सब को तिलांजलि दी। उनके बच्चे जब भोजन कर रहे थे उस समय बिलाव आकर रोटी उठा ले गया और उनके बच्चे रोते रहे, बिलबिलाते रहे लेकिन महाराणा प्रताप ने सिर झुकाना पसंद नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि मैं तो अपने प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ूंगा और हर हालत में अपनी स्वतंत्रता कायम रखूंगा इसलिए रोटी का सवाल देश की एकता के साथ जोड़ना, मैं समझता हूं कि अप्रासंगिक है। अनावश्यक है। देश की एकता हमारे लिए सर्वोपरि है, सबसे अधिक प्राथमिक है। उसके साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी इस आधार पर राज्य और केन्द्रों के संबंधों की समीक्षा करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से देश की अखंडता के प्रति वचनबद्ध है। देश की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए हर स्थिति में बलिदान करने को तैयार है। लेकिन साथ में जो राज्य हैं और केन्द्र है उसके संबंधों के बारे में जब हम समीक्षा करते हैं तो हमारे सामने कई प्रश्न खड़े होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ बंधुओं ने यहां ये बातें कहीं कि राज्य अधिक स्वायत्त होंगे तो अधिक विकास होगा। शायद कुछ अंशों में उनकी बात सच हो सकती है। लेकिन यह निवेदन करूं कि आजादी के पहले जब भारतवर्ष गुलाम था उस समय अंग्रेज केवल छोटे से हिस्से पर सत्तारूढ़ थे। भारत राष्ट्र उनके हाथ में जरूर था लेकिन छोटी-छोटी रियासतों को पूरी स्वतंत्रता थी, पूरी आजादी थी। पूरी स्वायत्ता थी। उनके पास पूरे आर्थिक अधिकार थे लेकिन क्या उस समय देश का विकास हुआ? क्या उस समय लोग उन्नति की ओर बढ़ सके? क्या गरीबी और रोजी-रोटी का सवाल उस समय हल हो सका तो प्रश्न यह नहीं है। स्वायत्ता और आजादी का, सवाल व्यवस्था का है। व्यवस्था को चलाने वाले तंत्र का है। यदि व्यवस्था कोई भी बनी रहे संवैधानिक व्यवस्था जो भी प्रदान की गई हो वह व्यवस्था कारगर रह कर भी क्या हम उसी ढांचे में ऐसे तंत्र को विकसित नहीं कर सकते जिसके माध्यम से प्रांतों का विकास हो, प्रांतों में रहने वाले व्यक्ति अपने देश की अखंडता के साथ-साथ विकास की गंगा में ही अपना स्नान कर सकें? क्या ऐसा तंत्र हम विकसित करने में असमर्थ हैं? क्या हमारे संविधान के निर्माता लोगों ने इस सभा की कल्पना नहीं की थी? उन्होंने अवश्य की थी इसलिए मैं यह कोट करना चाहता हूं जो संविधान निर्माताओं ने कहा था—

> "Though the country and the people may be divided into different States for administrative convenience, the country is one integral whole, its people a single people living under a single imperium derived from a single source."

यह उनका उद्घोष था। क्या आज हम स्वायत्ता के नाम पर जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, जैसी भाषा हमारे प्रांतों के कुछ मख्यमंत्री बोल रहे हैं, मैं नाम लेकर विवाद में नहीं पड़ना चाहता,

[श्री रामदास अग्रवाल]

हम सब जानते हैं क्या इस प्रकार की भाषा बोलकर हम अपने प्रांतों का विकास करेंगे ? अभी हमारे एक माननीय संसद सदस्य ने कहा—बिहार का बजट दस हजार करोड़ रुपया हो सकता है। बिहार का हो सकता है, मैं मानता हूं यदि सारा टैक्स जो हिंदुस्तान कलेक्ट करता है बिहार की तरफ से, वह उनको दे दिया जाए, शायद उनका विकास भी हो जाएगा, लेकिन फिर मेघालय का क्या होगा ? त्रिपुरा का क्या होगा ? क्या वहां पर लोग भीख मांगेंगे ? वह लोग फिर क्या करेंगे ? यदि हम उनके भरण-पोषण के लिए सहायता नहीं कर सकते, यदि हम उनके विकास में सहायक नहीं बन सकते तो फिर वह प्रांत हमारे साथ क्यों रहेंगे ? मेरा कहने का अर्थ यह है उपाध्यक्ष महोदय कि हम जब इस बात पर विचार करने लगते हैं तो हमें उन दो तत्वों पर ध्यान रखना चाहिए, पहली बात यह राष्ट्रीयता का अखण्ड तत्व। दूसरी बात स्वायत्तता के साथ-साथ लेकिन जब हम अपने भारत के कल्याण के लिए, अपने राज्य के कल्याण के लिए बात करें उस समय यह बात सामने रखना चाहिए कि हम देश में रहने वाले साढ़े 85 करोड़ लोगों के विकास की बात करें। यह बातें बड़े सिद्धांत की हैं, ऊंची बातें हैं लेकिन यह ऊंची बातें केवल भाषणों में रह जाती हैं यह बातें केवल किताबों में रह जाती हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं और आप सब भी यह बात जानते हैं कि इस सदन में बैठने वाले पक्ष के लोग चाहे वह कांग्रेस के महानुभाव हों, चाहे समाजवादी जनतादल के हों, चाहे जनता दल के हों, चाहे बी०जे०पी० के हों, सबने कभी न कभी किसी समय इस देश में राज किया है। उन्होंने भी इस प्रकार की कभी-कभी गलतियां दोहराई हैं जिस प्रकार की गलतियां कांग्रेस 40 साल में दोहराती रही है। उनको क्योंकि ज्यादा काम करने का मौका मिला, उन्होंने ज्यादा गलतियां कीं और जिनको कम समय काम करने का मिला उन्होंने कम गलतियां कीं। लेकिन, आधारभूत बात यह सच है कि कोई भी पार्टी जो राज कर रही है वह दूसरी पर तो आक्षेप उठाती है, दूसरों पर तो अंगुलियां उठाती है, लेकिन अपने गिरहबान में जब देखती है तो उनको असलियत नजर आती है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यहां इस माननीय सदन में कई बार कहा जाता है, जब मैं इस सदन में बैठता हूं तो रोज मुझे सुनने को मिलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को भंग कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वहां पर कोई हमारे आठ नागरिक बंधुओं की नृशंस हत्या हो गई। आज वह सज्जन इस समय मौजूद नहीं हैं जो बोलते हैं, वैसे वह मेरी प्रेरणा के स्रोत होते अगर यहां बैठते, लेकिन वह हर बार यह उच्चारण कर देते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को बरखास्त कर दिया जाना चाहिए। क्यों कर दिया जाना चाहिए किसी चुनी हुई सरकार को ? क्या आठ लोगों के मरने से कोई चुनी हुई सरकार को बरखास्त करोगे ? तो फिर पंजाब में क्या होगा ? कश्मीर में क्या होगा ? फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में जो हत्याएं हुई हैं उसमें क्या होगा ? जब गुजरात में हत्याएं होती हैं तो उस समय हमारी जुबान क्यों बंद हो जाती है ? हमारे मानदंड एक होने चाहिएं, हमारे सोचने का तरीका एक होना चाहिए तभी हम राज्यों के प्रति न्याय कर सकेंगे। राज्यों के प्रति इमानदारी और बिना पक्षपातपूर्ण बात कर सकेंगे।

श्री रामनरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : आठ व्यक्तियों की हत्या का मामला ही नहीं और भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उस तरफ भी ध्यान रखना चाहिए माननीय सदस्य का।

श्री रामदास अग्रवाल : आप बोलना चाहते हैं ? बोलिए।

श्री राम नरेश यादव : मैंने कह दिया आपने आठ व्यक्तियों की हत्या की तरफ कहा, वहां जो सारी घटनाएं हो रही हैं प्रदेश में, उस पर भी आपका ध्यान जाना चाहिए न ?

श्री रामदास अग्रवाल : महोदय, विषय उत्तर प्रदेश का नहीं है । मैंने उदाहरण के तौर पर यह बात कही है और मैं यह बात फिर दोहराना चाहता हूं कि हम में से सबने राज किया है किसी न किसी प्रांत में । जब हमने शासन किया था तो उस समय किसी प्रकार की गलती की थी और यह बात सब जानते हैं । अपने मन में और अपने गिरेहबान में झांककर हम देख सकते हैं । इसलिए किसी पर आरोप लगाना व्यर्थ है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम राज्यों की स्वायत्तता और उसको अधिक अधिकार देने की मांग करते हैं तो उस समय हमारे ध्यान में वहां के विकास की बात रहनी चाहिए और मैं भी भारतीय जनता पार्टी के इस सिद्धान्त को फिर से प्रतिपादित करना चाहता हूं कि 'राज्यों को फाइनेंस की दृष्टि से, राजस्व की दृष्टि से, उनकी आमदनी को बढ़ाने की दृष्टि से एक ऐसा विचार-मंच तैयार किया जाना चाहिए, चाहे सरकारिया कमीशन की जो रिपोर्ट्स है उनको स्वीकार करके करें या सरकरिया कमीशन से आप और कोई मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं, उसको डेवलप करिए, लेकिन मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करे जिससे कि हमारा यह तनाव, हमारी यह कड़वाहट केन्द्र और राज्य के बीच में खत्म होनी चाहिए, केन्द्र मजबूत रहना चाहिए, यह हम भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं और इस मजबूती को बढ़ाने के साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि केन्द्र सरकार भी किसी राज्य के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया न अपनाए, चाहे वहां भा.ज.पा. का राज हो, चाहे वहां कांग्रेस का राज हो या जनता दल (समाजवादी) का राज हो या किसी और पार्टी का राज हो, जब हम इस बात पर विचार करेंगे, जब हम इस प्रकार की उत्कृष्ट भावना से विचार करेंगे तो यह सारा तनाव खत्म हो सकता है, यह मन-मुटाव खत्म हो सकता है, यह पक्षपातपूर्ण व्यवहार अगर खत्म हो जाएगा तो फिर हम राष्ट्रीय एकता की जो बातें करना चाहते हैं, वह सही मायनों में सार्थक हो सकेंगी, सही मायनों में स्थापित हो सकेंगी लेकिन यदि हमने दिखावटी बातें करने का प्रयत्न किया, पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना प्रारम्भ किया तो, महोदय, ये सारी बातें केवल रिकार्ड में रह जाएंगी, वास्तविकता में जो देश की हालत है, देश की हालत जो बन चुकी है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसका एनालिसिस करने की बजाए हम अपने-अपने मन में चिंतन करें, विचार करें कि आखिर इस देश की स्थिति 40 साल बाद, 45 साल बाद यह क्यों हो गई है ? आज कश्मीर धधक रहा है, आज पंजाब धधक रहा है, आज असम में गड़बड हो रही है, आज आंध्र के अंदर नक्सलवादी अपना सर उठा रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में आतंकवादी फिर से अपनी गतिविधियां बढ़ा रहे हैं, राजस्थान की सीमा पर ये आतंकवादी गड़बड़ी करने का प्रयत्न कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में नक्सलवादी काम कर रहे हैं, यह सारी स्थिति आज हमारे देश की क्यों हो गई है ? क्या हम इस बात पर विचार करें कि यह हमारे विकास के नाम पर हो रहा है ? क्या विकास के नाम पर यह सब गतिविधियां चलाई जा रही हैं ? ऐसा नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ शक्तियां हैं जो देश को बांटने पर तुली हैं । हमारे गृह मंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं, हमारे रक्षा मंत्री जी भी कई बार कह चुके हैं कि देश को बांटने के लिए, देश के टकड़े करने के लिए, देश की एकता को भंग करने के लिए कुछ बाहरी शक्तियां जोर-शोर से लगी हुई हैं । इन बाहरी शक्तियों को रोकने के लिए पूरे देश को आगे आकर खड़े होने की आवश्यकता है । इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम किसी भी प्रकार के ऐसे नलझाव में न पड़ें, ऐसी बातें न करें जिससे कि राज्यों और केन्द्र में टकराव पैदा हो, कड़वाहट पैदा हो । यह केन्द्र सरकार का दायित्व है कि वह इस प्रकार का एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करे जिससे कि राज्यों के साथ हमारे संबंध ठीक प्रकार से चल सकें, राज्य सही ढंग से विकास कर सकें, उनके विकास की गंगा का सही प्रवाह हो सके, वहां के गरीब आदमी को

[श्री रामदास अग्रवाल]

आनन्द मिल सके, उसको उत्साह मिल सके और देश की तरक्की में वह भाग ले सके । इस प्रकार का विचार जब तक पैदा नहीं होगा, तब तक उपसभाध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें केवल रिकार्ड के लिए रह जाएंगी ।

इसलिए अंत में यह निवेदन करते हुए मैं सब महानुभावों से और देश की जनता से यह कहना चाहता हूं कि आज देश की एकता खतरे में पड़ी है, इसलिए हमको इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमारे राज्यों और केन्द्र के संबंधों में किसी प्रकार की कड़वाहट और कटुता पैदा न हो, उसके लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए । कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे पक्षपातपूर्ण व्यवहार खत्म होकर समान रूप से जो भी उपलब्ध साधन है, उन साधनों से, उस धन से, उस फारेन एक्सचेंज से हम अपने देश के सभी प्रान्तों का विकास कर सकें । यह अत्यन्त आवश्यक है और यही आज के समय की मांग है और यही मैं आह्वान करना चाहता हूं । राष्ट्र की एकता के लिए, समाज की एकता के लिए, हमारे जातीय संगठनों को एक रखने के लए आज हम इस बात पर वचार करें क क्या पक्षपातपूर्ण ढंग से सरकार को चलाने से यह सब काम हो सकेगा ? यह नवेदन करते हुए, आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया, उसके लए धन्यवाद ।

5.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Vithalrao Madhavrao Jadhav, you begin. It will remain inconclusive.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: I know that Mr. Vice-Chairman, Sir, the Resolution which has been brought by my friend, Dr. Nagen saikia, reads:

> "This House is of opinion that in order to provide more autonomy to the States and evolve a consensus in this regard, a Commission be constituted to examine the views of not only of State Governments but also of the cross sections of people including the representatives of different political parties/groups, premier socio-cultural organisations academicians and eminent personalities of different fields and report thereon."

I do not understand...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Vin- your speech will have to be halted. It remains inconclusive. Now we proceed with the special mentions. There are about seven special mentions.

SHRI M. VINCENT (Tamil Nadu): Sir, I want to make a very important special mention. It is very urgent. You please allow me.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAS): Mr. Vincent, listen to me. We can accommodate you. There is a statement to be made by the Commerce Minister. So I will permit those special mentions which are very important. There are special mentions by Mr. Swaminathan, Mr. Ram Naresh Yadav and Mr. Vincent.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: On a Friday evening, it is not the time for statement.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: What happened to the short duration discussion on floods and other things?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Let us finish with the special mentions. These are important matters.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: There are special mentions and then statement by the Minister of Commerce. May I know from you when you will take up short duration discussion?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You can decide to sit late. I have no objection.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: We can sit beyond 6 O'clock if you take a decision. If we spill over the short duration discussion to Monday, it will not have much value.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: Sir, 5 O'clock is hardly the time for statement by the hon. Minister of Commerce. All the Members are not available. They have all gone.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): You can convince the Minister. It is his privilege.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: We are not asking the Minister, we are asking the Rajya Sabha Secretariat. I am seeking your protection. We cannot fix at 5 O'clock the statement ... (*Interruptions*)... Then there is a reply by the hon. Minister, Mr. Rameshwar Thakur. That is also very important... (*Interruptions*) ...

SHRI V. NARAYANSAMY (Pondicherry): All South Indians drink coffee. We would like to ... (*Interruptions*)...

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: You are an Indian. Therefore, don't use the word "South". We are all Indians.

SHRI V. NARAYANSAMY: All Indians drink coffee.

SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA: I agree with you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MOSODKAR): Mr. Swaminathan, your special mention... (*Interruptions*)...Let us listen.

श्रीमती जयन्ती नटराजन : इसे मंडे को ले लीजिए, सर ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): There is no point of order. Let us have the special mentions.

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV: There is very thin attendance in the House. Neither Opposition Members ar there nor the ruling party Members are there. So I request, through you, the hon. Minister of Commerce to make his statement on Monday so that most of the Members can participate in the debate.

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): Sir, I have no objection to make the statement any time you and this honourable House desire me to make a statement. But by way of self-exoneration let me explain what has happened. I had given notice day before yesterday. This has been included by the Secretariat of this House at 5 O'clock. I have already made the statement in the Lok Sabha at 2 O'clock. It you want me to make the statement on Monday, I will make the statement. I am in no particular hurry to make the statement... (*Interruptions*)...All I am pointing out is that I am not responsible for including it at 5 O'clock... (*Interruptions*)...

SHRI JAGESH DESAI: On a Friday evening no statement is made.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): It does not look nice if he makes the statement on Monday because he has already made it in the other House at 2 O'clock.

Now, Mr. Swaminathan.

SHRIMATI JAYANTHI NATARAJAN: The House can decide. (*Interruptions*)...

SHRI SANTOSH BAGRODIA (Rajasthan): ...It has happened many times in the past.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): I would have acceded to the request but for the fact that the statement has already been made in the other House. We must hear the statement. (*Interruptions*). The statement will be made, but the clarifications will be done later on. Mr. Swaminathan.